राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 109वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 109वीं बैठक दिनांक 12/05/2021 को 03.00 बजे की भौतिक उपस्थिति अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे–

1. डॉ. नवीन बालमोरी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री सुमन साहू, सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–1 31/03/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 108वीं बैठक दिनांक 31/03/2021 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–2 राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 362वीं, 363वीं एवं 364वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/03/2021, 23/03/2021 एवं 25/03/2021 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मैसर्स श्री पंचशेखर साहू (रेवती सेण्ड माईन), ग्राम–रेवती, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (अधिसूचना का नवमी क्रमांक 1526)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 003052/2021, दिनांक 18/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रेवती, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 360, कुल क्षेत्रफल–3.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कार्य नाला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 84,360 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सम्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड पैर में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी दर्ज किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड पैर में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भरान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जनरीक्षण कराकर सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 262वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोल सिंह मेरावी, अधिवक्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं चर्चा करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रेट उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवरी का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/88/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/28/खनि/न.क.31/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित क्रम्क ग्रेट खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/28/खनि/न.क. 31/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री चंद्रशेखर साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1112/ सी.ख.ई./ए.डी./न.क.31/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./4586 सूरजपुर, दिनांक 23/11/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सेमरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-सेमरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्रतापपुर 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। एक मुख्य खदान से 271 मीटर की दूरी पर आवासहीन में एवं दूसरा मुख्य 740 मीटर की दूरी पर आवासहीन में स्थित है। प्रस्तावित ग्रेट खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीसेट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या प्रतिबंधित तेलियिकिला क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 31 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1,341 मीटर, न्यूनतम 1,280 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 42 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 16 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 64,360 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण से उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.25 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड डिस्टूर्ड पर दिनांक 10/01/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उनसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
2.08	2%	0.41	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Rowatt	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	0.50

16. **वैन माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 31 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 16 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5

मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूसरे तथा के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे के खनन क्षेत्र की दूसरी नदी के पाट की चौड़ाई का 8 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3.710 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.218 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्प्रेषण नहीं किया गया है। जोड़ नाला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में फलस्वरूप 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-रेवारी) का रकबा 3.58 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संबंधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वासन कार्य** - प्रस्तावित के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे - 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसकी अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं स्थल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून की आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अभिभावी कार्य से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से की चन्द्रशेखर साहू, रेवती सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 300, ग्राम–रेवती, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.00 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3.710 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.219 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन सक्षम विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही सक्षम विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/09/2021 को संपन्न 120वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विषय विभाग उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की चन्द्रशेखर साहू, रेवती सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 300, ग्राम–रेवती, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.00 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3.710 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.219 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. **मेसर्स श्री राजकुमार खान (एस–1, हसदिकरा सेण्ड क्वारी), ग्राम–हसदिकरा, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1532)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 194539/2021, दिनांक 23/01/2021।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गैर खनिज) है। यह खदान ग्राम–हसदिकरा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1308, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन फुलपुटटा नदी के किनारे प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 67,147.52 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 11/02/2021।

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का ब्रिज क्रॉसिंग, वर्तमान में रेत घाट के लेवल (Levels) लेकर ब्रिज पैर के प्रस्तावित फुट

प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के मार्क (Levels) का भी मार्क किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। दिए गए में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करवाया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निदेशक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की अगली बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की राजस्व खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — रेत उत्खनन की संबंध में ग्राम पंचायत हर्षीटिकरा का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निरस्तीकृत/संशोधित** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निरस्तीकृत/संशोधित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** — खदान योजना प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ.क्रमांक/88/खनिज/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1383/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 16/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1383/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 16/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** — एस.डी.आई. की संख्या खान के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक /1386/ नी. खनि./डी.डी./ने.क.24/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.नि./4616 सूरजपुर, दिनांक 25/11/2019 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-हर्षीटिकरा 1 कि.मी., बहुत ग्राम-हर्षीटिकरा 1 कि.मी., एवं अनावरत बिलासपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.88 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अस्तित्व में स्थित है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एन्टीकेट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई — अधिकतम

258 मीटर, न्यूनतम 185.8 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 620 मीटर, न्यूनतम 580 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 78 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर पाई गई है। खदान की नयी लट के किनारे के दूरी अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर पाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 57,147 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.13 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी पर 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/12/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उसी खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Nearby Government M.S. School, Village- Hamatikra	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.41
			Total	1.01

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – पूरा खदान से 200 मीटर की दूरी पर आबादी में स्थित है। नयी गाइडलाईन अनुसार पूरा के बाउण्ड्रीज में कम से कम 500 मीटर सीधा जाना आवश्यक है। माईनिंग प्लान में वर्णित दूरी लगभग 16,400 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अधिकतम 2.98 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के बाउण्ड्रीज में 500 मीटर की दूरी पर एम-ई. इंडस्ट्रियल रेत खदान स्थित है।

18. रेत उत्खनन नैसर्गिक विधि से एवं भराई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पुनःपूरण नहीं होती गयी है तथा इतने उत्खनन में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–हरदीटिकरा) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण उक्त खदान की–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2000 नग पौधे – 1000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1000 नग अन्य (आंवला, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभराव (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिन बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर लिया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की मजरा खान, एम–5, हरदीटिकरा मेगा क्वारी, खसरा क्रमांक 1028, ग्राम–हरदीटिकरा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 16,438 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.88 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की

जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी मशीनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अयोग्य माईनिंग क्षेत्र का नीचे पर खनिज निकाल से अलग सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज निकाल द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/05/2021 को संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की मजरा खान, एम–1, हर्राटिकरा सिम्भा नदी, खसरा क्रमांक 1006, ग्राम–हर्राटिकरा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 16,428 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.96 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिशिष्टः प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स श्री मजबूत खान (एम–3, हर्राटिकरा सिम्भा नदी), ग्राम–हर्राटिकरा, तहसील व जिला–सूरजपुर (अधिवासन का नवीन क्रमांक 1553)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 194818/2021, दिनांक 22/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर खनिज) है। यह खदान ग्राम–हर्राटिकरा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन केवल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **प्रत्यक्षमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, गरघाट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा आउटलेट से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी घाट (जेनरी

क्षेत्र) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी मार्क किया जावे। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। चित्र में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

ii. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के तट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

iii. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खदान न खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

iv. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु गणना भी प्रस्तुत किया जावे।

v. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनुमोदित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

vi. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

vii. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

viii. क्षेत्र निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार क्षेत्र निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 11/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible] खान, अधिशासी अभियन्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निशानित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान निशानित/सीमांकित कर सीमित है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ.क्र.136/ख/खनिज/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक/1387/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक/1387/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की गणना खान के नक्शे पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक /1002/गै.का.रे./रि.सी./न.क्र.25/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक/क.वि./4020 सूरजपुर, दिनांक 23/11/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-हरदिकला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-हरदिकला 1 कि.मी. एवं अस्पताल बिशनपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 285 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 181 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 304.5 मीटर, न्यूनतम 208.8 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम

410 मीटर, न्यूनतम 373 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 108 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 30.8 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत भराव की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 6 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.23 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पृथक 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 11/12/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Girls School, Village- Harratikra	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.41
			Total	1.01

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के आसपास में 500 मीटर की दूरी पर एक-2, हर्राटिकरा रेत खदान स्थित है।

17. रेत उत्खनन नियुक्त विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्पादन नहीं किया गया है। ऐसा नदी छोटी नदी है तथा इसमें उपखंडाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम–हर्राटिकरन) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान डी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2000 नग पौधे – 1000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1000 नग अन्य (जामुन, कनेर, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुला भाग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अवमान (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् नदी अंतर्गत, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूमि जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की साइट का बेसलाईन डाटा** –
   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साइट के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत साइट के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।
   iii. रेत साइट के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत साइट के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री मनवर खान, एम–2, हर्राटिकरन सेन्ड माईनी, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–हर्राटिकरन, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से संलग्न चाईल्ड तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/08/2021 की सम्पन्न 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री मनवर खान, एम–2, हर्राटिकरन सेन्ड माईनी, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–हर्राटिकरन, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक

सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. **मैसर्स श्री गणपत खान (एम-3, इरतिकिला सेन्ड क्वारी), ग्राम-इरतिकिला, तहसील व जिला-सूरजपुर (अधिकारण का नवीन क्रमांक 1334)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमपीई/ सीजी/ एमआईएन/ 164888/2021, दिनांक 23/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-इरतिकिला, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेत नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमति उत्खनन क्षमता – 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 267वीं बैठक दिनांक 11/02/2021।

समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत स्तरों के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तरों के स्तरों (Levels) का भी अंकित किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उक्त खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. लीजहोल्ड के खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमों पर खनिज निकाल से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमों पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु नक्शापास भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो जिला खनि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रभावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहब्रत खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हर्राटिकरा का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-बलरिया के पृ.क्रमांक/101/खनिज/2021, बलरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1381/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आच्छादित क्षेत्र रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1381/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल

बार, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. की सम्बन्धित खान के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1108/सी.ख.वि./रि.सी./म.क.26/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वानिकी वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./4618 सूरजपुर, दिनांक 23/11/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हरदीबिरा 1 कि.मी., स्थित ग्राम–हरदीबिरा 1 कि.मी. एवं अन्तराज किसलपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/पुलिया स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिवेशीय प्रकाशक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 318.2 मीटर, न्यूनतम 294.2 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – अधिकतम 288 मीटर, न्यूनतम 283 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 107 मीटर, न्यूनतम 103 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 64.5 मीटर, न्यूनतम 38.0 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 88,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 11/12/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

10. **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (C.S.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.72	Following activities at Nearby Government Primary School **Village**- Harratora	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.13
			Total	0.73

11. रेत उत्खनन नैसुप्रस नियमों से एवं गलाई का कार्य लीज़र द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी आकलन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। वैसे नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया जाकर उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–हर्राटिकरा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्थित/संपतित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 750 नग आंवला के पौधे तथा शेष 250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 600 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत नाप अध्ययन (Dilation Study) कराएगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य सही आंकके, रेत उत्खनन का नदी, मछलियों, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वन्य जीवों का प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिन बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने की पूर्व) इसी चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से की मध्यवर्ती खान, एम-3, हर्राटिकरा सेन्ड क्वारी, खसरा क्रमांक 01, ग्राम-हर्राटिकरा, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की मध्यवर्ती खान, एम-3, हर्राटिकरा सेन्ड क्वारी, खसरा क्रमांक 01, ग्राम-हर्राटिकरा, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स श्री किशोर श्रीवास्तव (ब्लाक-1, पम्पापुर सेन्ड क्वारी), ग्राम-पम्पापुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1538)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 104788/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (लीज खनिज) है। यह उत्खनन ग्राम-पम्पापुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 881 एवं 718, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीन मशीनों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 88,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का ब्लॉक बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ब्लॉक मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के स्तरों (Levels) का भी नक्शे किया जावे। प्राप्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ब्लॉक मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नजीकतम से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 75 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिसंपर्क कर से बनाया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग के सीमांकन उपरांत, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उल्लेखानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतराल पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत आलेख पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निवेशक एवं परियोजना प्रस्तावक की खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त प्रमाण सुसंगत जानकारी /

दस्तावेज (प्रदान कोटेशन) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रदान दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी पूर्व इकबाल खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गठनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पेटा खदान के संबंध में ग्राम पंचायत रायपुर का दिनांक 02/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – जारी खान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ.क्रमांक/26/खनिज/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक/1349/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य पेटा खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक/1349/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की विस्तृत जानकारी के साथ पत्र है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक/1019/पी.एम.के./डी.डी./एन.17/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-रायपुर 1 कि.मी., समूह ग्राम-रायपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्रतापपुर 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.50 कि.मी. दूर है। निर्माणाधीन पुल खदान से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। प्रस्तावित पेटा खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आर्कलॉजीक्ल सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेन्ट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 174 मीटर, न्यूनतम 94.7 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1140 मीटर, न्यूनतम 1120 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 38.4 मीटर, न्यूनतम 14.2 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.12 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के सेंपल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 10/12/2020 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, जहाँ खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Pampapur	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.26
			Total	0.86

15. रेत उत्खनन निर्धारित तिथि से एक भवाई का कार्य लीज़ धारक द्वारा करवा जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी दस्तावेजों का सम्मिलित नहीं किया गया है। खदान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अभिलिखित खदान (ग्राम-पम्पापुर) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा के 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2000 नग पौधे – 1000 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1000 नग आम (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परिसीमन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) कराकर, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) काल सही आंका जा सके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं मृदा जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेंचलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई गाद के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का वर्ष पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री रितेश श्रीवास्तव, आर-1, पम्पापुर सेन्ड क्वारी, खसरा क्रमांक 661 एवं 736, ग्राम-पम्पापुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में पानी पहुंचने का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को संपन्न 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री रितेश श्रीवास्तव, आर-1, पम्पापुर सेन्ड क्वारी, खसरा क्रमांक 661 एवं 736, ग्राम-पम्पापुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1

मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,000 एमसीएम अतिरिक्त रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. **मैसर्स श्री डोलेश्वरनाथ घाटेज (विक्रेता सेन्ड माईन), ग्राम–विहार, तहसील–बलरामपुर, जिला–रायगढ़ (खनिकर्म का नवीन क्रमांक 1535)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 194726/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (मीन एरिया) है। यह खदान ग्राम–विहार, तहसील–बलरामपुर, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 340, कुल क्षेत्रफल–2.295 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पद्धतियों के लिए खदान प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–45,300 एमसीएम प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) से आरएल, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक

है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार भूमि के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका भौगोलिक सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस शब्द उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

7. यदि भूमि में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो भूमि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही भूजलस्तर की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान भूमि से संबंधित है, तो जिला कार्यों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपलब्ध समस्त भूसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अनुसूची सिद्ध, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पिहरा का दिनांक 17/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ.क्रमांक/202/खनि–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 04/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के आदेश क्रमांक/69/खनि/न.क./2020 रायगढ़, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/वि/खनि/५७ /2020 रायगढ़, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.डी.आई. का विवरण** – एल.डी.आई. की डीलनायकल पटेल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /3163/खनि–3/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/ए.डब्ल्यू/2613/2020 रायगढ़, दिनांक 23/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिहान 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बिहान 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरोड्रम स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिवेशीय प्रकाशक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 2,012 मीटर, न्यूनतम 2008 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 188 मीटर, न्यूनतम 162 मीटर एवं गहराई – अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 238 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 45,500 घनमीटर है। रेत परिमाण हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत भराव की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.83 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है। उपस्थित परिवेशीय प्रकाशक द्वारा बताया गया कि रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर से अधिक है। प्रस्तावित स्थल पर रेत की खुदाई 2.83 मीटर तक किये जाने के उपरांत, स्थल पर पानी आ जाने के कारण 2.83 मीटर से नीचे उत्खनन कार्य नहीं किया जा सकता।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में उत्तरांश, ग्राम पंचायत पिथरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 332/2, 332/1, 338 एवं 342, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़ द्वारा दिनांक 18/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 862/खनिज/2020–21 रायगढ़, दिनांक 18/10/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017–18	61,496
2018–19	18,654
2019–20	निरंक

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत खदान के क्षेत्रफल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पृथक 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 03/01/2021 को रेत खदान के वर्तमान लेवल्स Levels लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार सिंकुश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.9	2%	0.39	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Pithra	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	0.50

16. रेत उत्खनन नैसर्गिक विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलछटी आंकड़ों का आवंटन नहीं किया गया है। बताया गया है तथा इसमें सर्वेक्षण में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम–पिहरा) का रकबा 2.295 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने की दशा में यह खदान श्रे–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानित के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुले भाग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरणीय प्रभावकारक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत नाप अध्ययन (Siltation Study) कराया जाए, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य नहीं आवश्यक, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, आर्थिक वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई माह के प्रथम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी सिद्ध बिन्दुओं से नाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री ओमप्रकाश पटेल, विहंगम माईन, खसरा क्रमांक 340, ग्राम–पिहरा, तहसील–बलरामपुर, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 2.295 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। स्थित बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/06/2021 की संपन्न 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी

का आयोजन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की कोलसरायल पटेल, पिता- सेन्ध माईन, खसरा क्रमांक 340, ग्राम-तिहरा, तहसील-बरसलिया, जिला-रायगढ़, कुल क्षेत्र लेबरल 2.286 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिसीमन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **मेसर्स श्री सत्येन्द्र कुमार बहेलिया (तारापुर सेन्ध माईन), ग्राम-तारापुर, तहसील व जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1536)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एम्लाईटन/ 194726/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (माईन अनिट) है। यह खदान ग्राम-तारापुर, तहसील व जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 403, कुल रकबा – 3.96 हेक्टेयर में है। उत्खनन मानव नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-19,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 257वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सारगर्भित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी ले लिया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/एफिडेविट प्रस्तुत किये जाये।
4. परीक्षित से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

6. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं उच्च आपूर्ति नहरों की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नमूना (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

8. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वासन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

9. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

11. खनि निरीक्षक एवं भौतिकज्ञ प्रयोगशाला की खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं भौतिकज्ञ प्रयोगशाला को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयमुर इकबाल खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तरपुरा का दिनांक 04/07/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर पहचानी है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/23/खनि-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 04/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/65/खनि/ग.क./2020 रायगढ़, दिनांक

07/01/2021 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गैर खदानों की संख्या निरंक है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/83/खनि/ग.क्ष./2020 रायगढ़, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सतेन्द्र कुमार बहोरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /6182/खनि–3/गैर नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तारापुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–तारापुर 2 कि.मी. एवं अस्पताल रायगढ़ 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित खदान से 250 मीटर की दूरी पर नालानुमा है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 420 मीटर, न्यूनतम 444 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 286 मीटर, न्यूनतम 278 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 73 मीटर, न्यूनतम 37 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 75,200 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थान पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु चेकलिस्ट भी प्रस्तुत किया गया है। उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर से अधिक है। प्रस्तावित स्थान पर रेत की गहराई 2.8 मीटर तक किये जाने के उपरांत, स्थल पर पानी आ जाने के कारण 2.8 मीटर से नीचे उत्खनन कार्य नहीं किया जा सका।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:

i. पूर्व में ग्राम पंचायत तारापुर के नाम से रेत खदान पार्ट ब्लॉक खसरा क्रमांक 403, क्षेत्रफल 8.086 हेक्टेयर, क्षमता – 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 27/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 881/खनिज/2020-21 रायगढ़, दिनांक 19/03/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	निरंक
2018–19	8,602
2019–20	निरंक

iv. निर्धारित शर्तानुसार पुनर्वनीकरण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत माफ़ के लेनदेन** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित ब्लॉक एवं प्रस्तावित ब्लॉक के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक, 26 मीटर गुणा 26 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 03/01/2021 को रेत माफ़ के वर्तमान लेनदेन (Lease) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सिलवर से मार्ग उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55.5	2%	1.11	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, Village- Tarapur	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.30
			Total	1.15

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी आकलन कार्य एवं सामंजस्य आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मात्र नदी खोदी गयी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-तारापुर) का रकबा 3.00 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **पर्यावरण कार्य** – प्रारंभिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (आमुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुला क्षेत्र पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –
   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी छिद्र बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री राजेन्द्र कुमार बहेरिया, तारापुर सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 403, ग्राम-तारापुर, तहसील व जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर अतिरिक्त रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी

का आयोजन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री सन्नेन्द्र कुमार बोपचार, लालपुर सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 403, ग्राम-लालपुर, तहसील व जिला-सागर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.98 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 39,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स श्री अनुकूल सिंह (कु-1, प्रेमनगर क्षेत्र बकारी), ग्राम व तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1541)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 194880/2021, दिनांक 28/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम व तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1910 एवं 1911, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अटेच नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11/02/2021

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा अवलोकन **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी पर 25 मीटर का क्रिस क्रासिंग, पार्श्वम में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ड्रिल मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के लेवल्स (Levels) का भी चार्ट किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे; ड्रिल मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके सम्बन्ध विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।
3. नजीकतम से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख संशोधित प्लान में अंकित कर के प्रस्तुत जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे दर्शाये विभाग के सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्थांत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी सड़कों के अपस्ट्रीम में

न्यूनतम 200 मीटर तथा डायनामाईट से न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे का सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गहराई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

7. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामेश्वर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत प्रेमनगर का दिनांक 17/11/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – जारी चालान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/104/खनिज/2021 बलरामपुर रामानुजगंज दिनांक 20/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2020/सूरजपुर/1341 सूरजपुर, दिनांक 08/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2020 /सूरजपुर/1941 सूरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. की अनुसूचित सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1194/ पी.एल.ई./टि.डी./न.क.24/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/ना.वि./4821 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2019 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी प्रेमनगर 1.3 कि.मी., बहुत प्रेमनगर 2.1 कि.मी. एवं अमराटाल प्रेमनगर 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 60 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 810 मीटर, न्यूनतम 580 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 82 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 15 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 83,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उपलब्ध वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25

मीटर के ढिंग बिन्दुओं पर दिनांक 29/11/2020 को रेत सतह के सर्वेक्षण लेवल (Level) लेकर, जो खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निवेदन के चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.74	2%	0.99	Following activities at Nearby Government Primary School Dhumadand, **Village- Premnagar, Sankul Kendra Premnagar**	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.29
			Total	**0.99**

16. रेत उत्खनन नियमानुसार विधि से एवं भराई का कार्य लोकल द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतेम नदी छोटी नदी है तथा इसमें लम्बवत में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम–प्रेमनगर) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान श्रेणी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रचलितता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गत अध्ययन (Situation Study) कराकर, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कराए गई आवाई, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की सके।

4. **क्षेत्र की सतह का कंसलाईन आकार –**

i. रेत खनन जनवरी मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर लिया जायेगा।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से की अनुकूल सिफ, ब्लॉक-1, प्रेमनगर सेन्ड क्वारी, खसरा क्रमांक 1810 एवं 1811, ग्राम व तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) की लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गठित का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की अनुकूल सिफ, ब्लॉक-1, प्रेमनगर सेन्ड क्वारी, खसरा क्रमांक 1810 एवं 1811, ग्राम व तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मैसर्स श्री विवेक साहू (लखकेना सेन्ड माईन, ग्राम-लखकेना, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद), किशनपारा, शिव चौक, गोबरा, नवापारा, जिला-रायपुर (अधिकारपत्र का वर्ष क्रमांक 1448)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 180067/2020, दिनांक 29/10/2020।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (मेजर खनिज) है। यह खदान ग्राम-लखकेना, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 21, कुल क्षेत्रफल-4.81 हेक्टेयर में है। उत्खनन कार्यवाही नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सदस्यगण से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लार्ज (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीगर्भ से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नक्शे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपर्युक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपलब्ध स्थान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नक्शे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भराई जाने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संयंत्रमय भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृषकों की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की खदान में पेड़ के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपकी भाग की आपत्तिजनक बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण कोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 18/01/2021 एवं 03/02/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक साहू, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रेस उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामकोला का दिनांक 14/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विस्थापित/प्रभावित** – डायरेक्टर कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विस्थापित/प्रभावित कर चयनित है।
3. **वृक्षारोपण योजना** – वनीकरण प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (सा.व.), संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4272/खनि 02/सा.वे./व.यो.अनु./एफ. 27/2020 नया रायपुर, दिनांक 22/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/374/खनि/एफ./2018 गरियाबंद, दिनांक 13/08/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य ग्रेस खदानों की संख्या निरंक है।

5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पंचायत के ज्ञापन क्रमांक 1008/खनि/रेत /न.क./2020 पंचायत, दिनांक 07/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज की डिक्लेयर भाटू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पंचायत के ज्ञापन क्रमांक 824/खनि/रेत नीलामी/2019 पंचायत, दिनांक 23/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु किया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम– सेमरा 1 कि.मी. एवं नवीन ग्राम सेमरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 536 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 484 मीटर, न्यूनतम 483 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 115 मीटर, न्यूनतम 25 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 15 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 88,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.75 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में राजस्व ग्राम पंचायत जमकेरा के गाट के रेत खदान पट्टा क्षेत्र खसरा क्रमांक 21, क्षेत्रफल 4.21 हेक्टेयर, मात्रा–24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्देशक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 28/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एम.ई.आई.टी.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सर्वश्री, ग्राम पंचायत लाचकेरा की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को भी विशेष बातों के साथ पर इन्स्टॉल किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अभ्यावेदन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार रेत खनन उपरांत री-मानसून सर्वे दिनांक 08/08/2019, मानसून के बाद दिनांक 15/09/2019 को रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व एवं रेत खनन उपरांत री-मानसून सर्वे दिनांक 15/05/2020 को पूर्व में निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को चित्र मेप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया गया है। जिससे अनुसार नदी में रेत का पुनर्भरण हो रहा है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1334/खनि./न.अ./2020 गरियाबंद, दिनांक 08/12/2020 के अनुसार पिछले वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2018-19	निरंक
2019-20	1,000
2020-21	8,000

v. वर्तमान में 200 मन वृक्षारोपण किया गया है। निर्धारित मानदण्डानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

vi. सी.ई.आर. के तहत् कार्यवाही किये जाने का प्रावधान पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 08/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निम्नानुसार निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55.6	2%	1.11	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, Village-Lachkera and Panchayat Bhawan	
			Rain Water Harvesting System (Panchayat Bhawan)	0.35

			Solar Panel System (H.S. School)	0.40
			Total	1.15

16. **पैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 13,800 वर्गमीटर पैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अन्तर्गत 3.43 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल तिथि से एक भवाई का कार्य लोक्स द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबंदी आकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। कटाई नदी घोषित नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवंटित खदान (ग्राम-लाखकेरा) का रकबा 4.81 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वनीकरण कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नदी तट पर कुल 5,500 नग पौधे – 1,750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,750 नग (जामुन, करंज, बेल, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुले मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गत अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत भराव के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत भराव के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत भराव के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अभिकर्ता फर्म से एम.ई.आई.टी.टी., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निर्धारित निर्धारित उपखंड सर्वेक्षणकर्ता से की विशेष साधु, लखकोट सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 21, ग्राम-लखकोट, तहसील-रायपुर, जिला-गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.81 हेक्टेयर में से नैर माईनिंग क्षेत्र 15,000 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.46 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. नैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का नीचे पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/09/2021 को संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार निर्धारित उपखंड प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षणकर्ता से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की विशेष साधु, लखकोट सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 21, ग्राम-लखकोट, तहसील-रायपुर, जिला-गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.81 हेक्टेयर में से नैर माईनिंग क्षेत्र 15,000 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.46 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिवेशगत प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स श्री अहमद रजा (बालूद सेण्ड माईन, ग्राम-बालूद, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा), ग्राम-बालूद, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-द.ब. दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1116)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसईआई /सीजी /एम्आईएन / 136000/2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मैनर खनिज) है। यह खदान ग्राम-बालूद, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 31, कुल लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शंखनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-96,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आवृत्ति स्थान की पूरी सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आगे-पीछे तथा बायपास में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का थ्रि डायमेंशनल सर्वेक्षण से रेत खाद के लेवल्स (Levels) लेकर थ्रि मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। थ्रि मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संदर्भ भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्स्थापन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अक्षरांश) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अक्षरांश फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु मौके पर उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि एवं की आपत्ती आदि, खनि निदेशक उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिती पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालूद का दिनांक 22/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1814/खनिज/डी.जी./2019-20 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1803/खनिज/टि.जी./2019-20 दन्तेवाड़ा, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1803/खनिज/टि.जी./2019-20 दन्तेवाड़ा, दिनांक 24/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गोठान, आंगनवाड़ी, स्कूल, पुल, बांध, क्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनिज/टि.जी./2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक 26/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र से 200 मीटर में कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है। लीज क्षेत्र के निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बालूद 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-बालूद 1 कि.मी. एवं अस्पताल दन्तेवाड़ा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 500 मीटर की दूरी तक कोई पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 73 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दायें किनारे से दूरी 15 मीटर एवं बायें किनारे से 10 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेड मात्रा की गोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत मात्रा की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अवधि विस्तार**–

   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत बादूर के नाम से रेत खदान पट्टा ग्राम खसरा क्रमांक 31, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/11/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गत अवधान विवरण प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

   iv. पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत मात्रा के लेवलन** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) काल दिनांक 31/01/2020 को रेत मात्रा के लेवलन (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से कार्य उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
Rs. 48	2%	Rs. 0.96	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Ralud**	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with Fencing	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 1.00**

16. नदी तट से खाने किनारे से दूरी 25 मीटर एवं बाये किनारे से दूरी 10 मीटर बतायी गई है, जबकि नदी के पाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। खनन क्षेत्र का नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 100 मीटर है। अतः नदी के पाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही उक्त गणना के आधार पर माइनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज्ड भेत खदान क्षेत्रफल 'अ' के समीप दो अन्य भेत खदान क्षेत्रफल 'ब' एवं क्षेत्रफल 'स' की लीज्ड है। जिसकी वस्तुस्थिति दूरी की जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:—

1. नदी के पाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र का सीमांकन कर खनिज विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान क्षेत्रफल 'अ', 'ब' एवं 'स' को एक ही प्रमाण पत्र (लीज्ड सहित) में खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल की दूरी सहित दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 08/08/2020, 06/01/2021 एवं 04/02/2021 के परिपत्र में परिपालना प्रस्ताव द्वारा दिनांक 11/02/2021 की जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रिवाईज्ड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 845/खनिज/द.बी./2020-21 दंतेवाड़ा, दिनांक 18/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

2. खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 174 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर तथा खदान स्थल की लम्बाई - अधिकतम 476 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 144 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 15 मीटर एवं बायें किनारे से 10 मीटर है।

3. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** - नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 174 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 15 मीटर एवं बायें किनारे से 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 20 मीटर प्रतिबंधित उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3.800 हेक्टेयर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः पेड़ उत्खनन का कार्य खदान के अन्तर्गत 3.84 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान बाबूड़ 'अ', 'ब' एवं 'स' को एक ही प्रपत्र पत्र (नक्शा सहित) में खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल की पूरी संहिता सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2014-15	31,330
2015-16	31,225
2016-17	22,670
2017-18	7,630
2018-19	निरंक

7. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, जिला-दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.टा.अ./847 दन्तेवाड़ा, दिनांक 08/12/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त पर्यालोचन के निर्णय लिया गया कि खनि निदेशक एवं परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार पर्यावरण निदेशालय प्रयागराज को एस.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

अनुपालन हेतु की अग्रगामी रपट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का आलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-टनकपुर के ज्ञापन क्रमांक 644/खनि/गा.ज./2020-21 टनकपुर, दिनांक 17/10/2020 द्वारा खसरा नम्बर 'अ', 'ब' एवं 'स' को एक ही प्रमाण पत्र (नक्शा सहित) में खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल की दूरी सहित दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार से वर्ष उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.8	2%	0.41	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Tarapur	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water Facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.15
			Total	**0.65**

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-पश्चिमी चम्पावत टनकपुर के ज्ञापन क्रमांक 1188-ए/खनिज/रिजी./2021 टनकपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017-18	7,630
2018-19	निरंक
2019-20	निरंक
2020-21	निरंक

4. पेट्रा उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण योजना अथवा कार्य एवं लागतों आदि का सम्मावेश नहीं किया गया है। प्रस्तावित नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बाबूट) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,000 पौध पौधे – 1,500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, कटहल, आम, आंवला आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वहुद कार्य पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परिचालन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूमि जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –
   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं से माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जनवरी 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की अहमद रजा, बाबूट रीच माईन, खसरा क्रमांक 31, ग्राम–बाबूट, तहसील–डभौरा, जिला–शहीद अवधेश डभौरा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से रिव माईनिंग क्षेत्र 8,000 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.84 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 38,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. रीव माईनिंग क्षेत्र एवं अनरीव माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग से समन्वय सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

7. आवेदक द्वारा पोस्ट-मानसून भर्ती नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्धानुसार निर्धारित दिए बिन्दुओं पर नदी में रेत की ऊंचाई के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून भर्ती कर उसकी आंकड़ें उपलब्ध एस.ई.आई.ए. ए., प्राधिकरण को प्रस्तुत किये जायें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की सम्पन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की आराध्य ग्राम, बालूद तेरव माईन, खसरा क्रमांक 31, ग्राम-बालूद, तहसील-दण्डोलाद, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर माइनिंग क्षेत्र 0.500 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 3.84 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 38,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स बी.एम. टेक्नो-कास्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (मंत्रालय का नस्ती क्रमांक 823)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 360307/ 2019, दिनांक 16/07/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 180209/ 2021, दिनांक 21/01/2021 द्वारा कार्यशील ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-मिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा स्थित एतं अंकित खसरा क्रमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Vakuum Plasma Pyrolysis क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं Shredder क्षमता – 100 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग करीब 2.85 करोड़ है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रपत्रण फोटोग्राफ) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 17/03/2021 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

अनुशंसित हेतु की विविध श्रेणियों, डीलेवेटर एवं मेसर्स इको इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉ. अजय गाईकर, ई.आई.ए. को-ऑर्डिनेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - समीपस्थ आबादी ग्राम-बोर 0.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अभिनवपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है। सुपेला नदी 8 कि.मी. बंजारी बांध 12 कि.मी. की दूरी पर है।

   - मदकार आरक्षित वन 0.3 कि.मी., निलसा आरक्षित वन 5.6 कि.मी., सोनपुर आरक्षित वन 7.8 कि.मी., सुकरी आरक्षित वन 8.2 कि.मी., चरवाना आरक्षित वन 7.9 कि.मी., सलवा आरक्षित वन 7.6 कि.मी., चन्दा आरक्षित वन 8.1 कि.मी., तोरवार आरक्षित वन 7.8 कि.मी. एवं पाखन आरक्षित वन 8.2 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रस्तावित टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि उपलब्धता संबंधी विवरण** – भूमि को अनुसूचित, गैर परिसीमित निजी, जिला-रायपुरा द्वारा 30 वर्षों के लिए दिनांक 07/07/2016 से 06/07/2046 तक लीज पर मेसर्स सी.एम. टेक्नो-कास्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई है।

3. **टेक्नोलॉजी** –

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	250 kg/hr
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Revolution	0.2 to 1 rpm
Volume	4 m^3
MOC (Shell)	SS310 - 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	6.02 mpr Hr
Refractory Thickness	25 mm
Girth Gear	MOC EN 19 Forged 8 Module Spur Gear Type
Drive Gear Box	Elecon / Reputed Company Make
Drive Motor	10 HP Make 3 PH Class S4 Duty Induction Motor
Inner Diameter of Kiln	1,200 mm
Inner Length of Kiln	3,000 mm
Tire Wheel	250 wide 2 Set
Flue Gas Velocity	1.3 m/s

Ash and Residue Separation	Ash Separator with Hot Ash removal screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Expression	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Bucket Elevator with Hopper
Waste Receiving From Kiln Side	Hopper unit with Safety Door
Waste feeding Mechanism	Hydraulic Ram and Pusher
Feeding Unit	5 HP
Nature / Category of Waste	Incinerable Bio-Medical Waste with Maximum 85% Moisture Content
Heat Loss fraction	0.05
Design Temperature	1,400 °C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature resistance (Primary chamber)	1,400 °C
Temperature resistance (Secondary Chamber)	1,200 °C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature in Primary Chamber	800 ± 50 °C
Temperature in Secondary Chamber	1,050 ± 50 °C
O_2 Content in Primary Chamber	6 %
Residence time for flue gas in Secondary chamber	2 Sec

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	200 Kg/Batch
MOC	SS -304
Model No	BLUTEK AC200
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm^2
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement
Feeding	Manual through horizontal Trolley
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134 °C
Design Temperature	150 °C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr
MODEL No	BLUTEK-SDR100

Waste Materials	Biomedical waste
Power	3 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm Height
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	4 m^2 (only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X 50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing
Cutting Blade	5 Nos. (3 movables & 2 fix blade)

4. परिशेषित हेतु आवश्यक उपकरण –

Type of HCF	No. of Health Care Facilities	Total No. of Beds
Govt. Hospitals	192	3,300
Private Hospitals	164	1,154
Clinic	53	-
Pathology Lab.	18	-
Blood Bank	2	-
Govt. Health Care Sub Centre	1,052	-
Total	**1,481**	**4,454**

5. हानिकारकों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	**TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**	**SOURCE**	**QUANTITY GENERATED (Kg/Day)**	**METHOD OF DISPOSAL**
36.2	Ash	Incinerator	600	Sent to TSDF for landfilling
34.3	ETP Sludge	ETP area	100	Sent to TSDF for landfilling
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery /

				TSDF site
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	1G	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries	-	As generated	Sent to Authorized Recyclers

6. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल स्रोत एवं खपत** – परियोजना हेतु कुल 12.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग 2.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 8.2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कुल दूषित जल की मात्रा 7.88 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 6.38 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–5 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 घनमीटर प्रतिदिन का निर्माण किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ईफ्लूएंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम इक्वालाइजेशन टैंक, मीडिया फिल्टर एवं अल्ट्राफिल्टरेशन, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट सोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड आदि स्थापित करना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पूरक एवं सघन उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकाले हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / औद्योगिकीकृत जल निकासी के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में छतों के क्षेत्र का कुल एरियाज 1,161 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 गड्ढा निकासी पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना अथवा रेन वॉटर कलेक्शन टैंक क्षमता 15 घनमीटर प्लांट के भीतर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण एरियाज को निकासी किया जा सकेगा। सभी निकासी पट्टाकार इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें संचयन मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Furnace में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूमेक हुड चेम्बर से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम तथा 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट हेतु निर्गत चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर रखी जाएगी। फ्यूगिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

8. **परिवहन व्यवस्था** – लौह-निकिला अयस्क का संग्रहण एवं परिवहन लौह-निकिला अयस्क प्रबंधन नियम, 2018 (तथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

9. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 200 के.वी. डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 0.134 हेक्टेयर (लगभग 33 प्रतिशत) क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. लौह-अयस्कों का निपटान व्यवस्था का संचालन 360 दिवस किया जाएगा।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग प्रायः 16/10/2019 से 15/01/2020 के मध्य किया गया है। 12 बिन्दुओं के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17 से 54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 32 से 90 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 2.2 से 20.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 2.8 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.7 डीबीए से 54.1 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.2 डीबीए से 44.2 डीबीए पाया गया। परियोजना प्रबंधक द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग प्रदान करना, उच्च शोर वाले स्थल में हरित पेड़ का रोपण करना, डी.जी. सेट एकोस्टिकली प्रूफ इंक्लोजर में स्थापित करना, परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण करना आदि प्रस्तावित है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 24/11/2020 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम-चिट्टीकला, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-सारंगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रक्रिया सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 04/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

    ii. परियोजना क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए।

    iii. परियोजना से उत्पन्न धूल/ग्रेस अपशिष्ट हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किया जाए।

iv. परियोजना से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. स्थानीय लोगों की आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

ii. परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में 500 पेड़ प्लांटेशन किया जाएगा।

iii. इस परियोजना में इस प्रयोजन हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र लगाया जाएगा तथा कोई भी दूषित जल बाहर नहीं जाएगा। इस परियोजना से निकलने वाला सीवर अपशिष्ट ई.टी.पी. प्लांट, टी.एस.डी.एफ. साईट पर भेजा जाएगा एवं शेष को नगर पालिका निगम की सिवरेज लाईन बिल पर भेजा जाएगा।

iv. परियोजना से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु Induction Pyrolysis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त क्षेत्र रखकर की व्यवस्था की जाएगी। उत्सर्जन के मापन हेतु चिमनी में ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। जिसे सी.पी.सी.बी. / सी.ई.सी.बी. के सर्वर से संबद्ध किया जाएगा।

vi. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत अलग–अलग विकासों के निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
285	2%	5.70	Following activities at Nearby 1. Government Middle School, **Village-Bhitthikala** 2. Government Primary School , **Village-Bhitthikala** 3. Government Primary School, **Village-Thor**	
			Rain Water Harvesting System	1.80
			Potable Drinking Water Facility with cooler	2.55
			Running Water Facility for Toilets	0.75
			Plantation with fencing	0.00
			Total	**5.70**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम–भिट्ठीकाला, तहसील–अजीतगढ़, जिला–सरदूलशहर स्थित फर्म और कंपनी खसरा क्रमांक

1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Shredder क्षमता – 100 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की जाये।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को सम्पन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–नैनूडीहकला, तहसील–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट अंकि खसरा क्रमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Shredder क्षमता – 100 कि.ग्रा. प्रतिघंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मैसर्स श्री गोपेश आकलिया लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–कुसमडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1371)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 184287 / 2020, दिनांक 29/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित कुल चूना (लाईम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–कुसमडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट अंकि खसरा क्रमांक 108, कुल क्षेत्रफल–0.728 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–8,280 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **प्रस्तावक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रावधान पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह सहित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होलिस्टिकली निकटतम क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकरण शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की

पूर्व में कोई खदान आवंटित न की) शामिल किया जाना सहित। अतः उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में आवंटित खदान का खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्यक निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्यक निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलंबित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

3. निगत वर्षों में किए गए उत्खनन की उपखनिज मात्रा की जानकारी शामिल निधान से प्रमाणित कर अब प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि लंबित जानकारी अपूर्ण होने के कारण वे समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 09/12/2020 एवं 08/01/2021 की बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई लंबित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(झ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश डाकलिया, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रामवन के संबंध में ग्राम पंचायत दुमरडीहकला का दिनांक 20/04/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **प्रबंधन योजना** – खाली पड़ा भाग सिंह ब्लॉक कंपोजर प्लान एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (वनमंडल), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनि/तीन-6/2016/2016 रायपुर, दिनांक 26/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/228/खनि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर उपस्थित कुल 32 खदानें, क्षेत्रफल 33.046 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2655/खनि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं पुलिया आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह राजकीय भूमि है। लीज की दीर्घ अवधि के पट्टे पर है। लीज डीड 10 वर्षों की दिनांक 13/07/2011 से 12/07/2021 तक है। लीज के निलम्बनीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनपाल अधिकारी राजसमंदगढ़ वनमण्डल, जिला–राजसमंदगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/वन/वि./10–1/8108 राजसमंदगढ़, दिनांक 13/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 4 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टेलकाडीह 0.3 कि.मी., स्कूल टेलकाडीह 0.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–टेलकाडीह 0.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 75 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संचित एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,84,000 टन, माइनेबल रिजर्व 1,44,754 एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,30,278 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.307 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपजी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में वैल्लाकार पुश्तों के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की अनुमानित आयु 18 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रकार स्थापित है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान एवं प्रकार में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। खनिज में प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,250
द्वितीय	8,250
तृतीय	8,250
चतुर्थ	8,250
पंचम	8,250

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	8,250
सातवां	8,250
आठवां	8,250
नवमां	8,250
दशवां	8,250

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकरों से की जाएगी। भू-जल की उपलब्धता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में कुल खनन उत्खनन पार्ट लीज खसरा क्रमांक 108, क्षेत्रफल 0.728 हेक्टेयर, क्षमता– 8,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रामगढ़वा द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 31/03/2022 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित मार्गानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– रामगढ़वा के ज्ञापन /238/ख.नि.02/2021 रामगढ़वा, दिनांक 23/03/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
जुलाई, 2011 से मार्च, 2012	119
2012–2013	680
2013–2014	489
2014–2015	1,749
2015–2016	992
2016–2017	7,918
2017–2018	7,298
2018–2019	3,634
2019–2020	1,260
अप्रैल, 2020 से जून, 2020	निरंक

14. परिसर में लीज क्षेत्र में अवैध खदान संचालित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर ही अवैध खुदाई को अन्य जिला में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,520 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी सीमा में 3 मीटर व पश्चिमी सीमा में 5 मीटर गहराई तक खुदी हुई है, साथ ही पश्चिमी सीमा लीज क्षेत्र के बाहर भी खुदा हुआ है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त शासकीय शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र की अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 19/09/2018 को पारित आदेश में कुछ केस से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाकर अपनाई सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/226/खनि 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 33.043 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कुमरीडीहकला) का रकबा 0.728 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कुमरीडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 33.771 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये अतिक्रमण के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संशोधित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार किया जाकर अपनाई सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी2' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लीज क्षेत्रफल सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out area.

iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

v. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

vii. Project proponent shall submit the map of mine area showing the present status of working positions with their dimension (R.L.).

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/06/2021 को सम्पन्न 190वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा समितियों के समिति की अनुशंसा को मद्देनजर रखते हुए अपरोक्षानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माइन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र की उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संशोधित उपायों सहित संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

पर्यावरण प्रभावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

13. मेसर्स बीजासराई जाईन स्टोन माईन (प्रो.– श्री अजय दुग्गा), ग्राम-बीजासराई, तहसील व जिला-मुंगेली (अधिकालय का नस्ती क्रमांक 1482)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /585517/2020, दिनांक 17/12/2020। परिवेशीय प्रभावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रारंभ दिनांक 29/12/2020 द्वारा वापसी

प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बीजासराई, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 407/1, 407/2 एवं 407/4, कुल क्षेत्रफल–1.80 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आरक्षित उत्खनन क्षमता–52,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूलतः प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आरक्षित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनुमोदित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रकाशन फोटोग्राफ) के साथ अनुशंसा हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आलोक कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बीजासराई का दिनांक 02/12/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – जारी चालान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1724/खनि/भू.प./ज.सं./2020, दिनांक 02/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/205/खनि/भ.प./2020 दुर्ग, दिनांक

03/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की स्पष्ट निकट है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुरैना के ज्ञापन क्रमांक/905/खनि/ना.प्र. /2020 मुरैना, दिनांक 03/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेलवेलाईन, सरकार, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, एरोड्रम एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **भूमि स्वामित्व एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एल एल.ओ.आई. की अवस्था मूलरूप के पास पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुरैना के ज्ञापन क्रमांक/784 /खनि02/न.प्र.56/2020–21 मुरैना, दिनांक 22/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपसंचालक(वन), मुरैना उपवनमंडल, जिला–मुरैना के ज्ञापन क्रमांक/संरक्षण/2877 मुरैना, दिनांक 24/11/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बीजारावाई 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–बीजारावाई 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बीजारावाई 1.15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,94,000 टन, माइनेबल रिजर्व 1,57,420 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,49,549 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी लीज पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,919 वर्गमीटर है। अंतिम कगार योजना मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में अवशेष मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 14,321 घनमीटर है। इस मिट्टी को लीज पट्टी (7.5 मीटर) में एवं रैंप माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रकार भराव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	52,500

दिनांक	52,500
पूर्णांक	52,420

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपलब्धता हेतु अनुमति सम्बन्धित प्राधिकरण सेंटरल अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा में 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा एवं इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं नॉन माईनिंग क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस प्रकरण को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Government Shishu bharti higher Secondary School, **Village – Bijatarai**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility	0.10
			Plantation	0.10
			Total	**0.90**

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., क्षेत्रीय बेंच, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका सिविल भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक परिसीमन नं. 100 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/605/खनि/ग्राम/2020 मुंगेली, दिनांक 03/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बीजतराई) का रकबा 1.86 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बीजतराई लाईम स्टोन माईन (प्रो– श्री अजय गुप्ता) की ग्राम–बीजतराई, तहसील व जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 407/1, 407/2 एवं 407/4 में स्थित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर, क्षमता – 52,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की संपन्न 309वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गवाही का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बीजतराई लाईम स्टोन माईन (प्रो– श्री अजय गुप्ता) की ग्राम–बीजतराई, तहसील व जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 407/1, 407/2 एवं 407/4 में स्थित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर, क्षमता – 52,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

संबंधित प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स श्री जसबीर सिंह चावला (हरदी बोलोमाईट क्वारी), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (खनिकर्म का नवीन क्रमांक 1843)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /802372/2021, दिनांक 27/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बोलोमाईट (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 11, 12, 13, 14, 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 76/9, 76/12, 76/13 एवं 76/14, कुल क्षेत्रफल–5.03 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–70,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नवीन एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. एन.ओ.आई./लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो; पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्रफल की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

5. जिला स्तरीय में किए गए उल्लंघन की वस्तुनिष्ठ स्थिति की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसवीर सिंह चांदल, डीएमएंडटी उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हरदी का दिनांक 16/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 3088-89/माईनिंग-2/खनि/एफ.ए.03/2020 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2344/खनि./ए.क./2021 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 58.838 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2345/खनि./ए.क. 38/2021 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, धार्मिक स्थल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एस.डी.आई. संबंधी विवरण** – एस.डी.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ

2-6/2016/12 नया रायपुर, दिनांक 31/07/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 06 माह की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एस.टी.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 11, 12, 13, 14, 16/2, 16/3, 17, 18, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 76/6 आयोजक, खसरा क्रमांक 16 श्री देवारी लाल धुर्वे, खसरा क्रमांक 16/12 श्री रामलाल यादव, खसरा क्रमांक 16/13 सुश्री निधि यादव, खसरा क्रमांक 76/14 श्रीमती केना बाई के नाम पर है। ताकनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर उपवनमंडल, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/टा.अधि./3088 बिलासपुर, दिनांक 28/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बरदी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-बरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बरदी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – लिमोनाइटिकायत रिजर्व 29,95,558 टन एवं माईनेबल रिजर्व 16,53,184 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (ताकनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) है। खनन कार्य फुलसी मेकेनाईजड विधि से ताकनन किया जाएगा। ताकनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में कच्ची सिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 34,037 घनमीटर है। इस सिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर प्लांटेशन के लिए वनविभाग एवं क्षेत्र सिट्टी को ग्राम की समीपस्थ भूमि पर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध खनन का प्रमाण नहीं किया गया है। लेज हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित ताकनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित ताकनन (टन)
प्रथम	15,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	15,000
चतुर्थ	15,000
पंचम	15,000

12. **जल आपूर्ति** – परिरोपण हेतु आवश्यक जल की मात्रा / मानसून प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकरों से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सम्बन्धित सक्षम सीटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चौड़ी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चौड़ी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में सिर्फ की गहराई प्रस्तावित गहराई 30 मीटर के अनुसार की गई है, जबकि लीज क्षेत्र के आकार के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः लीज क्षेत्र को कम से कम 4 श्रेणियों में विभाजित कर, सिरों की उपयुक्त गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु केलाइन द्वारा कंसेशन का कार्य मार्च से मई, 2021 के मध्य की जा रही है। इस संबंध में समिति का मत है कि केलाइन द्वारा कंसेशन का कार्य 01 मार्च से 15 जून, 2021 के मध्य किया जाए।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रामेश्वर पान्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2344/ख.नि./न.अ./2021 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आच्छादित 6 खदानें, क्षेत्रफल 16.638 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्रान-क्वारी) का रकबा 5.00 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्रान-क्वारी) को मिलाकर कुल रकबा 22.638 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टीविटीज़ विकासपरिए इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्तर्गत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का कॉम्प्लेक्स टिप्पणियां (लोक सुनवाई सहित) नीचे बोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टिप्पणियां के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iv. Project proponent shall submit the extension copy of LOI.

v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vi. Project proponent shall divide the mine area in minimum 4 sections & calculate the actual reserves and submit revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report (if any).

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को मद्देनजर रखते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

15. मेसर्स श्री मनीष कुमार जैन (सालिक हिरिया क्वॉर्ट्ज माईन), ग्राम-सालिक हिरिया, तहसील-बीजपुरवा, जिला-राजनांदगांव (सत्रिकरण का पत्रांक 1282)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव क्रमांक – एमआईए /सीजी /एमआईएन /152481/2020, दिनांक 03/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियां होने के कारण दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व में संचालित चूनी पत्थर (लीज एरिया) खदान है। खदान ग्राम-सालिक हिरिया, तहसील-बीजपुरवा, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 65/4,8,9 एवं 59/2, कुल क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता-8,874 टन (8,114.2 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज निधि से अवगत करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परिवेशीय प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवेशीय प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कुमार जैन, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुखरी का दिनांक 08/04/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – जारी खान बिना खाड़ी कलेक्टर प्लान एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेक्टिव प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ब/खनि/सीम-6/2018/3088 रायपुर, दिनांक 25/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 895/खनि 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 03 खदानें, क्षेत्रफल 2.40 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 895/खनि 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज की मनीष कुमार जैन के नाम पर है। लीज वीज 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/03/2012 से 01/03/2022 तक की अवधि हेतु दिए

है। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 30 वर्षों की, दिनांक 02/03/2022 से 01/03/2042 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री नन्दलाल कुमार जैन एवं दिलीप कुमार जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./10-1/8871 राजनांदगांव, दिनांक 01/10/2020 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 7.63 कि.मी. की दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-डिटिया 0.49 कि.मी., स्कूल ग्राम-अर्जुनी 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-अर्जुनी 1.88 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – सिल्लीमोनाइट रिजर्व 4,28,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,04,750 टन है। लीज की 7.5 मीटर सीढ़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,885 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपशिष्ट मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में बैकफिल पुनर्स्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अपशिष्ट स्थापन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,874
द्वितीय	9,874
तृतीय	9,874
चतुर्थ	9,874
पंचम	9,874

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	9,874
सातवां	9,874
आठवां	9,874
नवमां	9,874
दसवां	9,874

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कोलोनाइजर के की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 880 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में ग्राम खाराग खसरा क्रमांक 65/4, 5, 6 एवं 58/2, कुल क्षेत्रफल – 0.88 हेक्टेयर, क्षमता – 4,114.2 घनमीटर (8.824 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 08/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 240/खनि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017–18	4,030
2018–19	4,040
2019–20	4,090
अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक	1,030

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 की समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 26/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"5A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में अवलम्बन – जीरा क्षेत्र के खानों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में अवलम्बन कार्य नहीं किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Government Primary School School, Village – Satighitiya	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Total	0.50

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश चन्द्रन विरुद्ध भारत सरकार, चण्डीगढ़, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 164 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where even it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजसमन्द के ज्ञापन क्रमांक 888/ख.नि. 03/2020 राजसमन्द, दिनांक 27/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 03 खदानें, क्षेत्रफल 2.40 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सातिका डिटिया) का रकबा 0.85 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सातिका डिटिया) को मिलाकर कुल रकबा 3.25 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थापित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – श्रेयांश श्री सतीश कुमार जैन (आवेदक डिटिया पत्नि सतीश सहित) की ग्राम–सातिका डिटिया, तहसील–कोशवाड़, जिला–राजसमन्द के खसरा क्रमांक 65/4,5,6 एवं 58/2 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर, प्रस्ताव – 9,874 टन (4,114.2 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/03/2021 की सत्रहवीं 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को संज्ञान करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री गणेश कुमार जैन (लालिक क्विंटिया फोन स्टोन माईन) की ग्राम–बालिक क्विंटिया, तहसील–बोरवनाड़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 65/4,5,8 एवं 66/2 में स्थित कार्री पत्थर (मोल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.66 हेक्टेयर, क्षमता – 9,874 टन (8,114.2 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. मेसर्स श्रीमती पुष्पलता ओसवाल (लेवरडाल आईम स्टोन माईन), ग्राम–बेरवाडाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (अधिकारिक का नस्ती क्रमांक 1438)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /142832/2020, दिनांक 28/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में अपूर्ण होने से ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मोल खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेरवाडाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 566/1 एवं 568, कुल क्षेत्रफल–1.125 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवंटित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्देशक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्देशक प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावलोकन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्पादन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कचनपुर का दिनांक 10/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान (खदान का इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रकोष्ठ), जिला-रायपुर के प्रपत्र क्रमांक/ 10/खनि/टीन-6/2018/708 रायपुर, दिनांक 23/03/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के प्रपत्र क्रमांक 184/खनि/03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 19/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 5.788 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के प्रपत्र क्रमांक 2837/खनि/02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज धारी पुष्पलता अग्रवाल के नाम पर है। लीज क्षेत्र 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/06/2008 से 01/06/2013 तक की अवधि हेतु स्वीकृत है। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/06/2013 से 01/09/2018 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 02/06/2018 से 01/06/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव उपवनमंडल, जिला-राजनांदगांव के प्रपत्र क्रमांक /एफ.सी./भू.अ. 10-1/2021/2014 राजनांदगांव, दिनांक 02/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 3.9 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-संगरहान 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-संगरहान 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल रेलवेस्टेशन 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संभावना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,28,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,88,200 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,30,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4.164 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कोई स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	6,000
सातवां	6,000
आठवां	6,000
नवमां	6,000
दशवां	6,000

11. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आवंटन स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति एचएल रोड के माध्यम से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 पौधे वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में कुल खसरा खदान खसरा क्रमांक 848/1 एवं 848, कुल क्षेत्रफल – 1.120 हेक्टेयर, क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कांकेर द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (प्रमित राजस्व), जिला–रायसेन के आदेश क्र/खनि01/2021 रायसेन, दिनांक 25/02/2021 द्वारा पिछले वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन
2008–09	2,510
2009–10	7,440
2010–11	15,230
2011–12	8,550
2012–13	4,040
2013–14	3,400
2014–15	4,000
2015–16	1,700
2016–17	3,743
2017–18	2,751
2018–19	4,868
2019–20	1,610
2020–21	1,720

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 की समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

14. **खदान की 7.5 मीटर की सीढ़ी सीधा चट्टानी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के, उत्तर दिशा के 97 मीटर लम्बाई में 6 मीटर गहराई तक, दक्षिण दिशा के 65 मीटर लम्बाई में 4 मीटर गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 125 मीटर लम्बाई में 6 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का समावेश कर संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन समिति की बैठक में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन विवरण संबंधित जारी प्रपत्र पत्र में उत्खनन की इकाई (यूनिट) प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में जानकारी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन ऑफ माइनिंग प्रोसेस हेतु बफर पर्यावरणीय वर्डी जारी की गई है। वर्डी क्रमांक V.22.0 के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक वर्डी के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रामेश्वर सन्देव सिन्धु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग्स एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 194/खनि/वि.ए/2021 गरियाबंद, दिनांक 16/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, लेआउट 6.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोरखाल) का रकबा 1.125 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोरखाल) को मिलाकर कुल रकबा 9.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का आकलन निर्धारित होने के कारण यह खदान 'कैट' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र की भावी और 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन की कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

8. समिति द्वारा विचार किया गया उपरांत कार्यसूची में प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज विस्तारित इन्फ्रास्ट्रक्चर कैटेगरीज अपडेट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लेफ्ट सुनवाई सहित) नीचे ओपन माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

iv. Project proponent shall submit the revised previous year production certificate from concern department.

v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & its plantation within three months and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा केस में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लेफ्ट सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के मुख्य भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा प्लांटेशन आदि के लिये संशोधित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परिवेशीय प्रभावों की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

17. मेसर्स बिहारकोल क्वार्टजाईट एंड सिलिका सैंड क्वारी (प्रो.– श्री गौतम चंद डागलिया), ग्राम–बिहारकोल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (अधिवाहन का नवमी क्रमांक 1382)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमएमडी /सीजी /एम्पलाईमेन्ट /44543/2017, दिनांक 01/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रारूप दिनांक 01/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित क्वार्टजाईट एंड सिलिका सैंड क्वारी (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिहारकोल, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट सीरिज खसरा क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल–4.45 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमति उत्खनन क्षमता– 30,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नवमी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सलाहकार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवंटित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय मंजूरी की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्वारीपट्टा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौतम चंद डागलिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवमी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेहाकोली का दिनांक 27/10/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (सिंपल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान एवं क्वारी अवलोकन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, के ज्ञापन क्रमांक 3875/जियोलॉजी/माईनिंग मंथली/क्वार्टज एण्ड सिलिका/ एफ.ए. 2/2016 भाग तथ्यपत्र, दिनांक 10/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 234/खनि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 6.88 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 8002/खनि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/12/2020 द्वारा जारी क्रमांक पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, सार्वजनिक सड़क, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह सामान्य भूमि है। लीज की गणना पट्टा आवंटित के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/09/2005 से 29/09/2035 तक की अवधि हेतु दिया है। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 30 वर्षों की, दिनांक 30/09/2025 से 29/09/2046 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव उपवनमंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/ख.वि./न.अ. 10–1/2020/10807 राजनांदगांव, दिनांक 16/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिहाकोड़ 0.16 कि.मी. एवं अस्पताल मुड़ीपार 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन योजना एवं खनन का विकास** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,90,000 टन, माइनेबल रिजर्व 8,86,520 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,28,570 टन है। लीज की 7.5 मीटर सीढ़ी सीमा यदि (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.825 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। बेंच की चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊँचाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17.81 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जल स्थायित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000

योग	30,000

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	30,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निजी/सरकारी कुओं से एकत्रित जल एवं वेदांता की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 2,000 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में ब्लास्टिंग एवं मिलिंग मोड खदान फार्म ओर खनन क्षमता 340 मुल्य क्षेत्रफल – 4.85 हेक्टेयर, क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के क्रमांक /264/खनि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	आवाहन (टन)
2007–08	निरंक
2008–09	
2009–10	
2010–11	
2011–12	3,010
2012–13	6,103.02
2013–14	5,900
2014–15	3,880
2015–16	4,120
2016–17	43,590
2017–18	805
2018–19	300
2019–20	525

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग में वृक्षारोपण किया जा चुका है। उपरोक्त पूर्व से वृक्षारोपित क्षेत्र को पुनःचयन का वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सांसद पारसेन सिंह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में पृष्ठ एवं से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 234/खनि/वि.ग्रा./2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बिहाकोढ़ा) का रकबा 4.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बिहाकोढ़ा) की मिलाकर कुल रकबा 11.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये वृक्षारोपण के कारण इस क्षेत्र में उपलब्ध उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

कक्ष, सचिवालय, सचिवालयालय, नीतिनी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) में जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण पीए कोयलरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज निकासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य अपना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में संशोधन मेनी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Managemare Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit extended lease deed copy.

v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

vi. Project proponent shall submit the Certificate for closure of mine from Concern Department.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation within three months and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के मुख्य भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र की उपचारी उपायों (Remedial Measures) की संख्या में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संयुक्त उपायों कक्ष, सचिवालय, सचिवालयालय, नीतिनी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

18. मैसर्स श्री भागवत प्रसाद वर्मा, ग्राम–दुम्हड़ी, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

प्रस्ताव का विवरण –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/11/2020 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिखकीय त्रुटिवश उल्लेखित "ग्राम–दुम्हड़ी, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल रकबा 1.175 हेक्टेयर" के स्थान पर "ग्राम–कुम्हारी, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल रकबा 1.175 हेक्टेयर" किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. यह खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल लीज क्षेत्र 1.175 हेक्टेयर, चूना पत्थर खदान (लीज सहित) क्षमता–7,888 टन प्रतिवर्ष की है।
3. प्रपोजल नम्बर – सीजीई/ सीजी/ एमआईएन/ 162314/2018, दिनांक 13/07/2018 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था।
4. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार – भाटापारा के द्वारा दिनांक 27/06/2018 द्वारा उक्त क्षमता हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/01/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त खसरा नं. का उल्लेख करते हुये संशोधन करने बाबत् प्रस्तुत अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की पूर्व एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को प्रकरण की पूरी नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
2. जिस वर्ष में किए गए उल्लंघन की सामयिक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी (दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्स्थापन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. खनि निरीक्षक एवं परिक्षेत्र प्रसारक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रकरण फोटोकापी) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परिक्षेत्र प्रसारक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नागेश प्रसाद वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण हेतु खनि निरीक्षक उपस्थित नहीं हुए एवं प्रकरण की मूल नस्ती प्रस्तुत नहीं की गई है। परिक्षेत्र प्रसारक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिक्षेत्र प्रसारक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत विगत 2 वर्षों तक अनुबंध निष्पादन न होने एवं कार्यादेश जारी नहीं होने के फलस्वरूप विगत वर्षों में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त खर्ची के फलस्वरूप में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।
4. प्रकरण में तत्समय प्रस्तुत माईनिंग प्लान, डी-जियोरिफिकेशन, अध्याय 10, फार्म-1एम एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना में "ग्राम-कुम्हारी, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के खसरा क्रमांक 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल रकबा 1.175 हेक्टेयर" का उल्लेख किया गया है, जबकि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "ग्राम-टुम्हारी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के खसरा क्रमांक 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल रकबा 1.175 हेक्टेयर" का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार किया गया उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिखावट त्रुटिवश उल्लेखित "ग्राम-टुम्हारी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के खसरा क्रमांक 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल रकबा 1.175 हेक्टेयर"

के स्थान पर

"ग्राम-कुम्हारी, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के खसरा क्रमांक 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल रकबा 1.175 हेक्टेयर"

पढ़ा जावे।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत् संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि:-

1. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावों निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोदाबाजार – भाटापारा के द्वारा दिनांक 27/08/2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित किया गया है कि "भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार जलाशयों के 500 मीटर की परिधि में समस्त जलाशयों 06/06/2013 के बाद स्वीकृत है।"

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 में क्लस्टर को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह सम्मिलित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है, जो 9 सितम्बर, 2013 को और उसके पश्चात् अनुदत्त खान पट्टों पर समान अनुप्रयोज्य को लागू होगी।"

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

4. परिवेशगत प्रदूषक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दो अन्य खसरा क्रमांक "1712 एवं 1713" का सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त खसरा क्रमांकों को सम्मिलित किये जाने पर पर्यावरण के विभिन्न आयामों पर संभावित प्रभावों का भी परिकलन किया जाना आवश्यक है। साथ ही माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश के संदर्भ में भी परिकलन किया जाना होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से तथ्यों एवं दस्तावेजों का पुनः परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स कंपलसरी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सोंथू, तहसील व जिला–रायपुर (परिचालन का चरणी क्रमांक 588)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएन्डी/ 180198/2020, यह आवेदन दिनांक 31/12/2020 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह परियोजना ग्राम सिलतरा की तहत् खसरा नं. 47, 48, 82/4, 82/5, 82/6, 76/1, 76/2, 77, 78, 74/1, 74/2, 80/1, 80/2, कुल एरिया 4.54 हेक्टेयर के ग्राम–सोनपुरी, तहसील व जिला–रायपुर में माईनर स्टील बिलेट्स क्षमता – 58,800 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 58,800 टन प्रतिवर्ष का है।

मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा मेसर्स कमलाक्षी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सोनपुरी, तहसील व जिला–रायपुर को माईनर स्टील बिलेट्स क्षमता – 58,800 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 'मेसर्स कमलाक्षी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड' से 'मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड' नाम परिवर्तन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स कमलाक्षी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सोनपुरी, तहसील व जिला–रायपुर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 28/10/2017 द्वारा माईनर स्टील बिलेट्स क्षमता – 58,800 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। मेसर्स कमलाक्षी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड के नाम पर परिवर्तन करने हेतु बिजनेस ट्रान्सफर डीड की प्रति, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रति, लेण्ड सेल डीड की प्रति एवं बोर्ड रिसोल्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/01/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया एवं पाया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्लांट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) का विक्रय उपरांत हस्तांतरण हुआ है अथवा नहीं? साथ ही नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज, प्लांट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) को शामिल करते हुये सेल डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरांत कार्यसमिति से आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित कार्यसमिति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्लांट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) का विक्रय उपरांत हस्तांतरण हुआ है अथवा नहीं? बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज, प्लांट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) को शामिल करते हुये सेल डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी (दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावेक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजित अग्रवाल एवं श्री मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. मेसर्स बीज की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण प्लांट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) का विक्रय किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मेसर्स गंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड एक पृथक इकाई है। अतः नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला औद्योगिक केन्द्र के उद्योग का नाम परिवर्तन होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में "मेसर्स कावेरी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सोण्डूर, तहसील व जिला–रायपुर" को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 26/10/2017 द्वारा पाईलेट स्टील मिलेट्स क्षमता – 56,800 टन प्रतिवर्ष एवं सि–सीज स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 56,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स कावेरी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड" के स्थान पर "मेसर्स गंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड" करने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

"Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/05/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार बिन्दुओं उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये "मेसर्स कावेरी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सोण्डूर, तहसील व जिला–रायपुर" को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 26/10/2017 द्वारा पाईलेट स्टील मिलेट्स क्षमता – 56,800 टन प्रतिवर्ष एवं सि–सीज स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 56,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स कावेरी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड" के स्थान पर "मेसर्स गंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड" करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स कन्हानपुरी ब्लैक ग्रेनाईट माईन (प्रो.– श्री किशन लुनिया), ग्राम–कन्हानपुरी, तहसील–नगरगुडा, जिला–उ.ब.कांकेर (अधिकारण का नवमी क्रमांक 16/29)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्ताव नम्बर – एफ.ए.ई./ सी.जी./ एम्लाईटन/ 42014/2018, दिनांक 18/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात में प्रस्ताव नम्बर – एफ.ए.ई. /सी.जी. /एम्लाईटन /82087/2018, दिनांक 22/01/2021 द्वारा कार्यालय ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित ब्लैक ग्रेनाईट (रॉक खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कन्हानपुरी, तहसील–नगरगुडा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल – 1.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 3,700.0 टन (1.388 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/01/2020 द्वारा उत्पादन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1530 (अ) दिनांक 06/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिनियम 2016 में प्रकाशित मंत्री 1(ए) का मेसर्स टीकेआर (किशन लोक लुनावाई) मीन ऑफ माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 22/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सावधानी सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अधिसूचित टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्तावित कोटेशनस) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक की एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशन लुनिया, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन पलान्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार सिंहा उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हनपुरी का दिनांक 02/01/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – तकनीक एवं ओपन माइनिंग एण्ड प्रोपोसिड माइनिंग कार्यालय प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1586/एमसीसी/एमपी/एन नंबर-05/2015 नवा नगर, दिनांक 30/03/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624(बी)/खनिज/उ.ब./2020-21 कांकेर, दिनांक 10/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624(ए)/खनिज/उ.ब./2020-21 कांकेर, दिनांक 10/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

5. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी नारायणपुर, परिक्षेत्र नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 1680/2018/1208, नारायणपुर, दिनांक 08/11/2018 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज की विगत खुदाई के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/11/1998 से 01/11/2008 तक की अवधि हेतु की। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/11/2008 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कन्हनपुरी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,42,720 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 1,80,136 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,15,800 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,280 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर से अधिक है। वर्तमान उत्खनन योजना के तहत 24 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर होगी।

लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है तथा कुल लगभग 8,250 घनमीटर है। खदान की संभावित आयु 03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध भण्डारण का प्रावधान नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र में डिटोनेटर, बलास्टिंग, सीपर-वायर एवं एक्सप्लोसिव का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2019-20	945
2020-21	1,125
2021-22	1,125
2022-23	1,143
2023-24	1,380

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कंटेनर के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

12. **प्लांटेशन कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 1,000 पेड़ प्लांटेशन प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग में भी प्लांटेशन किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

    i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

    ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624(सी)/खनिज/उ.ब./2020-21 कांकेर, दिनांक 10/09/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2016-17	788.21
2017-18	884.9
2018-19	204.202
2019-20	निरंक

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 38.12 से 42.16 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 85.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.08 से 14.29 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 10.48 से 20.23 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर

(Day time) 41.04 डीबीए से 48.9 डीबीए एवं रात्रि समय (Night time) 33.24 डीबीए से 39.3 डीबीए पाया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति से सम्बन्ध विस्तार के बाबत् उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.52	2%	0.61	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kanhanpuri	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for Boys & Girls Toilets	0.10
			Plantation with Fencing	0.10
			Total	1.00

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व प्रस्तावित सभी किए कार्यों के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही–**

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु दिए फार्मूला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of violation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 4,474.73) / 3,786.5 = 297

Environment Compensation = 60x297x100x0.5x0.5 = Rs. 5,94,000/-

= say Rs. 6,00,000/-

ii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 की संख्या 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु दिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन चार्ट एवं

क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) राशि 8,00,000 की गणना की मान्य किया गया।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,00,000/- करने का उपबंध किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार (1) शासकीय पाठ्यपुस्तक विद्यालय, कन्यापुरी (2) शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बुढ़ेती एवं (3) शासकीय प्राथमिक विद्यालय, मरवारोना में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, ड्रिंकिंग वॉटर फेसीलिटी, पीने योग्य पानी, वृक्षारोपण एवं सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। उक्त कार्य 3 माह के भीतर किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदा बाजार भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 624(बी)/खनिज/ई.ए./2020-21 भाटापारा, दिनांक 10/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम- कन्यापुरी) का रकबा 1.87 हेक्टेयर है। प्रकरण प्रस्तावित की श्रेणी का होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. Environment Compensation Plan के तहत निर्धारित कार्य को 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - श्री विमल लुनिया (मैसर्स कन्यापुरी ब्लैक ग्रेनाईट माईन) की ग्राम-कन्यापुरी, तहसील-नवलपुर, जिला-बलौदा बाजार भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल - 1.87 हेक्टेयर, ब्लैक ग्रेनाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-3,766.5 टन (1.385 एमसीटी) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि कार्यालय उपसंचालक अधिकारी नवलपुर, परिक्षेत्र नवलपुर द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जबकि उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय जिलाकलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय जिलाकलेक्टर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर,

जिला–रायपुर में जमा किया जाए। बैंक गारंटी की वैधता कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की पूर्ति उपरांत प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

21. मेसर्स जयंत भानपुरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री पी. गोपाल), ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर (खनिकालय का नस्ती क्रमांक 708)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74542/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 49688/2018, दिनांक 24/01/2020 द्वारा माईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1200, कुल क्षेत्रफल–1.03 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता–9,999 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/05/2019 द्वारा उत्पादन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना क्र.आर. 1030 (अ) दिनांक 06/05/2016 के प्रावधानों के अनुसार इन्क्रीमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्क्रीमेंटल मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन्स प्लेस माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 24/01/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सावधान सहमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन सहित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपलब्ध कराया पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रदान कोटेशनस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवेशीय प्रबंधक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 03/10/2020 द्वारा अनुशंसाकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 06/10/2020

अनुशंसाकरण हेतु की प्रस्तुत परियोजना प्रोपराईटर एवं मेसर्स ओपनसीज माईन-टेक कन्सलटेंट की ओर से पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में श्री मनोज कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत छापर मानपुरी द्वारा दिनांक 22/08/1988 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **प्रस्तावित योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एवं प्रोडेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो लोकेश खान निवासी, मालीश खान खुर्दी, रायपुर के पत्र क्रमांक बलार / खुद / खनि-1133 / 2017, रायपुर दिनांक 10/01/2018 की अवधि 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में विवरण खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि प्रकोष्ठ), जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक 1884 दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 06 खदानें स्वीकृत 8.1 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम में आबादी ग्राम-लाकरपुरा 1.5 कि.मी. एवं ग्राम-गनियारवाल 2 कि.मी. है। स्कूल ग्राम-छापरामानपुरी 1.2 कि.मी. एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-छापरामानपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन लोकतरा 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. है। इन्द्रावती नदी 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉलुटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज क्षेत्र की सी. गोपाल के नाम पर है। लीज क्षेत्र 50 वर्षों के लिए 22/02/2001 से 21/02/2051 तक की अवधि हेतु है।
7. **खनन संचयन एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1.13 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,00,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.881 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैकेनिकल विधि से उत्खनन किया जाता है। प्रस्तावित भूमिगत 0.005 हेक्टेयर क्षेत्र में आवेदित है। जिसकी क्षमता 50 टन प्रतिदिन है। वर्तमान में भू-भाग के 0.982 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 4 से 5 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित गहराई 12 मीटर है। बेंच की लंबाई 02 मीटर एवं चौड़ाई 34 मीटर है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विस्फोट प्रक्रियाओं हेतु 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल

विकास की व्यवस्था है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2001	2,336	2010	4,792
2002	11,148	2011	5,515
2003	3,100	2012	2,016
2004	1,809	2013	4,372
2005	5,815	2014	4,753
2006	5,180	2015	4,457.18
2007	4,038	2016	11,176.062
2008	4,270	2017	3,266.527
2009	4,264	2018	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2017–18	8,305
2018–19	8,305
2019–20	8,782
2020–21	8,782
2021–22	8,750

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संदर्भ हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

10. ई.आई.ए. अध्ययन का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

11. जारी टी.ओ.आर. के बिंदु क्रमांक 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 23, 28, 30, 31, 32 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 5, 9 के परिपालन में वांछित एवं उपयुक्त पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनित क्षेत्र को पुनर्स्थापित कर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन बोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े बेल्ट लीज में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तावित खदान में उत्खनन कार्य किए जाने के परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार क्रमबद्ध रूप संशोधित रेमेडियल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. टाइमलाईन भरकी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. जारी टी.ओ.आर. के बिंदु क्रमांक 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 23, 26, 28, 31, 32 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 5, 8 के परिपेक्ष में संशोधित प्लान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग आच्छादित है एवं इस क्षेत्र के उपखनी उत्पादों (Ratadai Minerals एवं रिजेक्ट्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेक्लेमेशन (Reclamation) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की विकास वृद्धि संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्तावित कोटेशनसहित) के साथ आगामी पत्र की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु आने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त सहित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/12/2020, 06/01/2021 एवं 04/02/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(च) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/03/2021:

समिति द्वारा भरकी प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक की पूर्व में मांगी गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।**

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(छ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

अनुमोदनार्थ हेतु श्री प्रदीप गोयल, कंसल्टेंट एवं मनोहरलाल के साथ में मेसर्स कॉस्टमीस माईन-टेक कन्सल्टेन्ट्स की ओर से डॉ. अंजनी हरिसन वाराणसी उपस्थित हुए। समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जारी टी.ओ.आर. के बिंदु क्रमांक 1, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 26, 28, 31, 32 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 5, 9 के परिपेक्ष में संशोधित मानक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) का वर्तमान में 0.21 हेक्टेयर क्षेत्र में रेस्टोरेशन (Restoration) शेष है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं होने के कारण लीज क्षेत्र में रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया गया है। पुनः लाइसेंस कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

3. लीज क्षेत्र की विधिवत वृद्धि के संबंध में बताया गया कि वर्तमानीय स्थिति के उपरांत विधिवत वृद्धि हेतु आवेदन जारी किया जाएगा।

4. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बसहा, जशपुरनगर के द्वारा क्रमांक /वा.वि./149 जशपुरनगर, दिनांक 07/01/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.3 कि.मी. की दूरी पर है।

5. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 19.14 से 32.44 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 30.14 से 62.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.82 से 15.14 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 6.14 से 13.12 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता मानकीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 46.8 डीबीए से 63.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.2 डीबीए से 58.0 डीबीए पाया गया।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
95.28	2%	1.90	Following activities at Nearby 1. Government Middle School, Village- Chhaperthanguri 2. Government High School,	

			Village-Chhaperbharpuri	
			Potable Drinking Water Facility with Cooler	1.00
			Running Water Facility for Boys & Girls Toilets	0.90
			Total	**1.90**

7. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 10/12/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान ईदगा हीरा (आबकारी हीरा) जिला कार्यालय अलवरपुर जिला बलरामपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित लघुखनिज, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 06/02/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाये।

   ii. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

   लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

   i. सी.एस.आर. की राशि के तहत् कार्य किया जायेगा।

   ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उत्खनन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू–जल का उपयोग नहीं किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

11. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मूला के आधार पर नमूना का क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF Where, EC - Environmental compensation in Rs. PI - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of violation took place R - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 14,444) / 11,799 = 307

Environment Compensation = 50x307x100x0.5x0.5 = Rs. 6,14,000/-

ii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 की संख्या 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रूपये 6,14,000 की गणना को मान्य किया गया।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 6,14,000/- जमा का उल्लेख किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परिसर वर्ग में 600 नग वृक्षारोपण चौबीस कर किया जाएगा। साथ ही शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जरवाडाबुरी में पेयजल हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाएगी। उक्त कार्य 3 माह के भीतर किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक 1888 दिनांक 04/08/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर परिधि में कुल 08 खदानें रकबा 8.1 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान है। आवेदित खदान (ग्राम- ग्रामर भानपुरी) का रकबा 1.53 हेक्टेयर है। यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. Environment Compensation Plan के तहत निर्धारित कार्य को 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - श्री बी. गोयल (मैसर्स ग्रामर भानपुरी लाईम स्टोन माईन्स) की ग्राम-ग्रामर भानपुरी, तहसील-लोकमान, जिला-बलरामपुर स्थित गैर वन खसरा क्रमांक 1200, कुल क्षेत्रफल - 1.53 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गुणा खनिज) उत्पादन क्षमता-8,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की पूर्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2021 की संख्या 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा किया जाए। उक्त बैंक गारंटी की अवधि विस्तार कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की पूर्ति उपरांत प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

22. मेसर्स श्रीराम नवीन कुमार एण्ड सन्स इण्डस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल प्रोसेस सेंटर, फेस-2, सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का पत्रांक 1564)

ऑनलाईन आवेदन – प्रकरण क्रमांक – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 201773/2021, दिनांक 05/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् इण्डस्ट्रियल प्रोसेस सेंटर, फेस-2, सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 134 में हॉट मार्जिन आधारित रोलिंग मिल क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष से 80,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनिर्माण क्षेत्र 3.8 हेक्टेयर होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में दिनांक 22/03/2021 के माध्यम से आवेदन को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स श्री सुनिल कुमार चटेल (क्रमशील सेन्ड माईन, ग्राम-बकुताराहार, तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर), बोरे रायगढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का पत्रांक 1056)

ऑनलाईन आवेदन – प्रकरण क्रमांक – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 130833 /2018, दिनांक 12/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम-बकुताराहार, तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर स्थित पार्ट ब्लॉक खसरा क्रमांक 31, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हाथ गड़ी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 309वीं एवं 309वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/01/2020 एवं 04/02/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक को अनुशंसाएं / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 31/01/2020, 07/03/2020 एवं 07/12/2020 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में कमि नहीं की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

24. मेसर्स श्री रामचंद्र चौधरी (ओपनवाई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-ओपनवाई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (अभिलेख का नस्ती क्रमांक 1364)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईए / 147886/2020, दिनांक 25/07/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीज एरिया) खदान है। खदान ग्राम-ओपनवाई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 18,19 एवं 20, कुल क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आरंभित उत्पादन क्षमता-6,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिक्रम करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 338वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक क्रमशः दिनांक 02/08/2020, 08/10/2020 एवं 06/11/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक को अनुशंसाएं / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 29/10/2020, 08/12/2020, 04/02/2021 एवं

15/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदन को कि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।**

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/05/2021 की संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

28. मैसर्स श्रीमति अनिता साहू (कुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–कुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (अधिकाधिक का नस्ती क्रमांक 1296)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 183868/2020, दिनांक 29/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियां होने के कारण दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/07/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 80, कुल क्षेत्रफल – 0.607 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 13,012.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 338वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक क्रमशः दिनांक 02/09/2020, 06/10/2020 एवं 06/11/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 29/10/2020, 08/12/2020, 04/02/2021 एवं 16/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/09/2021 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

26. मेसर्स श्री रतन चक्रधारी (हरदी सोईल/ऑर्डिनरी क्ले माईन), ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1271)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमएआईए / सीजी / एमआईएन / 130869/2019, दिनांक 23/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से क्रमशः दिनांक 12/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/07/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन ईंट निर्माण (सीमा लीज) खदान है। खदान ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 536, 537/1, 2, 3, 538 एवं 539, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता – 1,200 घनमीटर (1,800 टन) प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 338वीं, 340वीं एवं 346वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/08/2020, 06/10/2020 एवं 06/11/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 29/10/2020, 08/12/2020, 04/02/2021 एवं 16/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची के निर्णय लेकर उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची के समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परिसीमन प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

27. मैसर्स शिव शक्ति मैटल्स (टाकरापुड़ा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–टाकरापुड़ा, तहसील–लोहाडीगुड़ा, जिला–बस्तर (सम्पिराजा का नस्ती क्रमांक 748)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 25436/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्तावित नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48037/ 2018, दिनांक 30/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई-आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–टाकरापुड़ा, तहसील–लोहाडीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 276/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 305वीं, 317वीं, 333वीं, 334वीं, 337वीं, 342वीं, 346वीं एवं 358वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/01/2020, 29/02/2020, 04/07/2020, 10/07/2020, 01/09/2020, 06/10/2020, 07/11/2020 एवं 12/02/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिक्रम में परिसीमन प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 22/02/2020, 27/04/2020, 08/07/2020, 28/08/2020, 29/10/2020, 07/12/2020, 06/01/2021, 04/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परिसीमन प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/लिस्ट किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/06/2021 को सम्पन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / लिस्ट करने का निर्णय लिया गया।

परिक्षेत्र प्रभारक को तदानुसार सूचित किया जाए।

28. मेसर्स श्री देवेन्द्र देसमुख (एफ-3 कारली लेण्ड माईन, ग्राम-बड़ी कारली, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा), निवेदन किलाई रोड, जिला-दुर्ग (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 1086)

ऑनलाईन आवेदन – प्रकरण नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 134005/2019, दिनांक 28/12/2019। परिक्षेत्र प्रभारक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रकरण दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निरस्त किया गया। परिक्षेत्र प्रभारक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मैनेज खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़ी कारली, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 1058, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ढाल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-66,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 328वीं, 330वीं, 335वीं, 346वीं, 348वीं एवं 350वीं बैठक क्रमशः दिनांक 03/06/2020, 01/07/2020, 29/08/2020, 07/11/2020, 08/12/2020 एवं 12/02/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिप्रेक्ष्य में परिक्षेत्र प्रभारक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 27/06/2020, 28/08/2020, 29/10/2020, 02/12/2020, 19/01/2021, 14/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परिक्षेत्र प्रभारक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परिक्षेत्र प्रभारक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परिक्षेत्र प्रभारक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को सम्पन्न 105वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

28. मैसर्स श्री देवेन्द्र देशमुख (एक-1 कारली सेन्ड माईन, ग्राम-कई कारली, तहसील-पीपरा, जिला-दन्तेवाड़ा), सिर्केगांव सिलाई रोड, जिला-दुर्ग (पर्यावरण का पत्रांक 1080)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमडाईएम/ 134586/2018, दिनांक 30/12/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-कई कारली, तहसील-पीपरा, जिला-दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 1080, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ग्राम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 282वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 320वीं, 332वीं, 335वीं, 340वीं, 349वीं एवं 350वीं बैठक क्रमशः दिनांक 03/06/2020, 01/07/2020, 29/08/2020, 07/11/2020, 06/12/2020 एवं 12/02/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिक्षण में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 27/06/2020, 25/08/2020, 29/10/2020, 02/12/2020, 19/01/2021, 14/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में अधिक नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 03वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. गैसर्स श्री दीपक किराडी (सुनसुनिया सैण्ड माईन, ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बजौरीबाजार, जिला–बजौरीबाजार–भाटापारा), ग्राम–बेलपान पुरा, तहसील व जिला–बिलासपुर (लघिखनन का नस्ती क्रमांक 1334)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईए / 060455/2020, दिनांक 26/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 03/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बजौरीबाजार, जिला–बजौरीबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 1727/1, कुल क्षेत्रफल – 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आकलित उत्खनन क्षमता – 80,225 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 347वीं, 348वीं एवं 358वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/11/2020, 09/12/2020 एवं 12/02/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक को अनुपालन / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 02/12/2020, 16/01/2021, 03/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में कमि नहीं की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

31. मेसर्स साई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-किरहा व मोहन्दरा, तहसील-किलवा, जिला-बिलासपुर (पंजियन की नस्ती क्रमांक 1373)

ऑनलाईन आवेदन– प्रस्तुत पत्र – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 166018/ 2020, दिनांक 20/08/2020। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से प्रपत्र दिनांक 29/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-किरहा व मोहन्दरा, तहसील-किलवा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/क, 302/1/ख, 322, 323, 324, 326, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट क्षमता–1000 से पूर्वा 200 टन) टन प्रतिदिन के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग व्यय 50 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भू-आवंटित संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि कोई हो) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. प्रोसेस वेस्ट निर्गत व्यवस्थायें एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थायें का विवरण (नेचर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्णित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित पूर्णित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, स्क्रुबिंग डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, डी-स्टोनिंग के परिवहन कार्य एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाए।

6. ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. ले-आउट में प्रस्तावित प्लाटेशन को दर्शाते हुये प्लाटेशन की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। प्लाटेशन हेतु आर्थिक योजना प्रस्तुत की जाए।

8. सेन्ट्रल प्रदूषण कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेवी डिस्टिलरी अथवा डिस्टिलरी अथवा सेज जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्रदूषण वाटर उपार्जन करने हेतु सेंट्रल प्रदूषण वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी भाग की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, डीपीआर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक सॉलिड ग्रेनिंग यूनिट है, जो क्लीकर ग्रेनिंग प्रोसेस पर आधारित होगी।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - प्रस्तावित आबादी ग्राम-बिल्हा 0.8 कि.मी. एवं शहर बिलासपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बिल्हा 0.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.3 कि.मी. दूर स्थित है। नदियाँ नहीं 8 कि.मी. की दूरी पर है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित औद्योगिक क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. **ग्रीन बेल्ट एरिया स्टेटमेंट** – कुल एरिया 7.22 एकड़ है, जिसमें से प्लांट एरिया 1.81 एकड़, पार्किंग एरिया 0.81 एकड़, ग्रीन बेल्ट एरिया 3.88 एकड़, रोड एरिया 0.47 एकड़ एवं खुला क्षेत्र 0.05 में प्रस्तावित है।

4. **भू-स्वामित्व** – भूमि की आंशिक अधिग्रहण के चरण पर है। उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए सहमति प्राप्त होना बताया गया।

ई. सी–मटेरियल–

S. No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
		OPC	
1.	Clinker	950	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
		PPC	
1.	Clinker	600	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Flyash	350	Rail
		PSC	
1.	Clinker	500	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Slag	450	Rail

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/घनमान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। साथ ही डस्ट संग्रहण/पाइपिंग डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सी–मटेरियल्स स्टोरेज एरिया कवर्ड (ऊपर एवं साईड से) प्रस्तावित है। फ्लोर को पेवड किया जाएगा तथा स्टोरेज एरिया में कन्वेयर बेल्ट तथा ट्रकों के पहुंच की सुविधा रहेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रोडक्शन यूनिट से ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में एकत्रित डस्ट को पुनःउपयोग कर लिया जायेगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था–**

- **जल खपत एवं स्रोत संबंधी जानकारी** – परिशोधन हेतु कन्सट्रक्शन फेज में 10 घनमीटर एवं ऑपरेशनल फेज में 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संग्रहण हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल खपत होगा। कन्सट्रक्शन फेज में जल टैंकर के माध्यम से लिया जायेगा तथा ऑपरेशनल फेज में स्वयं भू–जल होगा। भूमिगत जल की उपलब्धता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से लिए जाने बाबत आवेदन किया गया है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जायेगी।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) कृषक एवं मानव उपयोगों को कम से कम 60 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल निकासी के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति पंजीयन प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार प्रस्तावित स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। प्रस्ताव को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – प्रस्तावित परिसर में वर्षा के पानी का कुल स्थानीय 1,722 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पिट निर्मित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी गणना में त्रुटि है। अतः रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **विद्युत खपत एवं स्वीकृति** – परियोजना हेतु 2,500 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक विद्युत प्रदाय हेतु डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित होना बताया गया है, जबकि डी.जी. सेट की क्षमता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

10. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2.98 एकड़ (41.27 प्रतिशत) में 3,000 नग वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि कम से कम 10 मीटर किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 120 प्रतिशत कार्य पश्चात का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परिसर से लगी हुई स्थान की भूमि से रेलवे साइडिंग लगा हुआ है, जिसका उपयोग प्रस्तावित इकाई हेतु किया जाना है। रेलवे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा।

12. री-गेटेबिलिटी का कार्य प्रस्तावित परिवहन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। स्लेग एवं कलई ऐश का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

13. रेलवे साइडिंग एवं परिसर में अंकित एवं अन्वेषित बिन्दुओं पर वायु प्रदूषण/ध्वनि/वायु जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1000	2%	20	Following activities at Government Primary School **Village–Mohbhata** and Government High School **Village –Bilha**	
			Rain Water Harvesting System	
			Plantation with fencing	

			Running Water Facility for Toilets

उपलब्ध की विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना की लागत भी कम दर्शित हो रही है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता को नाप लिया है। उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों के लिए दी गई सहमति बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. री–मटेरियलाइज किया जिसमें, प्लेग, फ्लाई ऐश एवं जिप्सम की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता के साथ हुये एग्रीमेंट की प्रति, स्कोप एवं मात्रा के उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. सभी री–मटेरियलस का दर प्रतिशत परिवहन रेल मार्ग से किये जाने हेतु मटेरियल बैलेंस के साथ विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेलवे लाइनिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे तथा रेलवे लाइनिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में दर्शाया जाए।
5. रेलवे लाइनिंग एवं परिसर में लोकेशन एवं अन्यलोकेशन बिन्दुओं पर डस्ट मोनिटरिंग/सुविधिक डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल, बहुमंजिला, रेलवे लाइनिंग के क्षेत्र एवं रेलवे स्टेशन की ओर कम से कम 15 मीटर चौड़ी पट्टी तथा क्षेत्र क्षेत्र में कम से कम 10 मीटर चौड़ी पट्टी के विकास योजना को ले–आउट में दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मुनिसिपल को सभी कार्ट में वर्णित करते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।
8. विकल्पिक विद्युत स्रोत हेतु डी.जी. सेट की क्षमता एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. परियोजना स्थल, सेंट्रल इन्वायरमेंट सेंसर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। भूमिगत जल के उपयोग के स्थान पर अन्य वैकल्पिक स्रोतों का आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
11. परियोजना की कार्यात्मक लागत का विवरण प्रस्तुत करते हुए तदानुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/12/2020 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भूमि की अंतिम अधिसूचना के नाम पर है। प्रस्तावित कार्य के लिए सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. ई-मटेरियल्स तथा विस्तार, मोल, ऊंचाई ऐज एवं जिलास की आपूर्ति के साथ में आपूर्तिकर्ता के साथ हुये एग्रीमेंट की प्रति, रवाना एवं चाला के पाबन्दी सहित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सभी ई-मटेरियल्स का उत्त प्रस्तावित परिवहन रेल मार्ग से किये जाने हेतु मटेरियल डेलिवरी के साथ विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. रेलवे साइडिंग के प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा रेलवे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में नहीं दर्शाया गया है।
5. रेलवे साइडिंग एवं परिसर में लोडिंग एवं अनलोडिंग बिन्दुओं पर डस्ट सप्रेशन/न्यूट्रिलिटि डस्ट कलेक्शन के नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया है।
6. प्रस्तावित स्थल, पहुंचमार्ग, रेलवे साइडिंग के क्षेत्र एवं रेलवे स्टेशन की ओर कम से कम 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टी तथा शेष क्षेत्रों में कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की विकास योजना को ले-आउट में दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
7. प्रस्तावित सीमेंट ग्रिंडिंग प्लांट की भूमिदस्त की चली चार्ट में दर्शित करते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार बार क्रशिंग, इंक्लाइनेशन टैंक, एम.एस.बी.आर. टैंक, प्रेशर सेफ्ट फिल्टर, एक्सटेंशन कार्बन फिल्टर, क्लोरिन डोजिंग सिस्टम एवं लास्ट ड्राईविंग बेड की स्थापना प्रस्तावित है।
8. पेकेजिंग विद्युत संयोग हेतु 300 के.वी.ए. का डी.जी. सेट की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 30 मीटर ऊंची चिमनी के पैरामेंस को प्रस्ताव किया जाएगा।
9. भूमिगत जल के उपयोग हेतु संबंधित शासकीय वाटर बोर्ड से आवेदन किया जाना बताया गया है।
10. वेस्ट वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें केवल छत्त वाले जल के हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव किया गया है। जबकि गणना में परिसर के सम्पूर्ण जल की हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए।
11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात कार्यसूची के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेलवे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये तथा रेलवे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में दर्शाया जाए।
2. परिसर के सम्पूर्ण जल की हार्वेस्टिंग गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपलब्ध समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अध्ययन रिपोर्ट/सर्वे) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अपने दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की विगत कुमार अवधारा एवं की निर्देश कुमार अवधारा, डीएमओ उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेलवे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही रेलवे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क की एक नस्ती में दर्शाकर प्रस्तुत किया गया है।

2. उद्योग परिसर में वर्षा जल की कुल मात्रा 15,010 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (प्रत्येक 2.5 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्व स्वरूप को रिचार्ज किया जा सकेगा। नस्ती रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें सघन भाग में वर्षा जल का संग्रहण हो सके।

3. **संस्तुति में-कंटेनमेंट का विवरण -**

S.No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
		OPC	
1.	Clinker	870 (87%)	Rail
2.	Gypsum	30 (3%)	Rail
		PPC	
1.	Clinker	620 (62%)	Rail
2.	Gypsum	30 (3%)	Rail
3.	Flyash	350 (35%)	Conveyor belt through adjacent steel plant

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष दिनांक के पत्र उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Crores)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Crores)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
10	2.0%	0.20	Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, Village-Mohbhatta, Rain Water	4.85

				Harvesting Facilities, Rain Water Harvesting Facilities, Running Water Facility for Toilet, in Panchayat Building, Village-Mohbhatta & Solar Street Lighting in **Village-Mohbhatta**.	
				Total	**4.85**
				Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Girls School, **Village-Bilha** & Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Bilha**.	**4.22**
				Total	**4.22**
				Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. English Medium Middle School, **Village-Keshla**.	**2.11**
				Total	**2.11**
				Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Nipaniya**.	**2.13**
				Total	**2.13**
				Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Degori**.	**2.15**
				Total	**2.15**
				Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Hirri** & Solar Street Lighting in **Village-Hirri**.	**3.19**
				Total	**3.19**
				Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-**	**2.06**

			Sastholpur	
			Total	2.05
			Grand Total	26.67

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित उद्योग से रेलवे साईडिंग के 240 मीटर की दूरी पर है। रेलवे साईडिंग से प्रस्तावित उद्योग स्थल तक ही सी–मार्टेरियल एवं उत्पाद का परिवहन सड़क मार्ग के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित उद्योग में 80 प्रतिशत से अधिक सी–मार्टेरियल एवं 100 प्रतिशत उत्पाद का परिवहन रेलमार्ग के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-III दिनांक 24/12/2015 के अनुसार परियोजनाओं को 'बी2' केटेगरी में वर्गीकृत कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

6. समिति द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-III दिनांक 24/12/2015 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किये जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार सीमेंट प्लांट हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किये गये हैं–

"Category B2 – All stand-alone grinding units listed in the Schedule as Category 'B' subject to the condition that transportation of raw material and finished products shall be primarily through Railways.

"transportation by railways should not be less than 80% of the traffic (inward and outward put together)."

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार किया गया उत्पाद सर्वेसम्मति से 80 प्रतिशत कच्चे पदार्थों तथा उत्पाद का परिवहन रेल मार्ग से करने के आधार पर गाईडलाईन अनुसार 'बी2' केटेगरी में वर्गीकृत करते हुए ग्राम–किला व गोलमट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (1 लाख 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/06/2021 की संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–किला व गोलमट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (1 लाख 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

38. मेसर्स सुमीत कंस्ट्रक्शनवित एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (मध्यांचल का नस्ती क्रमांक 756)

ऑफलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 187774/ 2021, दिनांक 11/02/2021।

मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस. बिलेट्स (यू. इन्फ्लक्शन फर्नेस) क्षमता–3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 वर्ष कुल 20 टन) हेतु जारी टी.ओ.आर. में "मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड" से "मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड" नाम परिवर्तन एवं संशोधन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 12/05/2018 द्वारा एम.एस. बिलेट्स (यू. इन्फ्लक्शन फर्नेस) क्षमता–3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 वर्ष कुल 20 टन) हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनीज कोई सि–सीसुहान, कम्पनीज इन–कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत भूमि दस्तावेज के अनुसार पूर्व में मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. की शर्तें से पूर्णतः भिन्न है।
2. मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कारेल, तहसील व जिला–रायपुर एक अन्य इकाई है, जो कि वर्तमान में संचालित एवं संचालित नहीं है। अतः मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. का मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है।
3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जारी टी.ओ.आर. का नाम परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है। मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को टी.ओ.आर. हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक (मेसर्स श्री कुदरगवी पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड) द्वारा मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. में नाम परिवर्तन एवं संशोधन बाबत् प्रस्तुत आवेदन को कि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 346वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीन का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परिपालन प्रमाणपत्र को तदानुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स बीएसी सायन्स जालसाल (बुढ़ाडांड क्रिकेट अर्थ कर्ते क्वारी माईन एण्ड क्रिकेट मिनरी क्रिकेट प्लांट), ग्राम–बुढ़ाडांड, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1448)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्तावित नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमएलएन/ 182878/2020, दिनांक 19/11/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से शासन दिनांक 26/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मेजर खनिज) खदान एवं क्रिकेट मिनरी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–बुढ़ाडांड, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ब्लॉक खसरा क्रमांक 520, कुल क्षेत्रफल – 1.06 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 1,380 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सदस्यगण के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में अनुमोदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनुलग्नित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की मात्रात्मक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / शपथपत्र (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सम्भावना पश्चात् अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुढ़ाडांड का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – जारी पट्टा एवं स्वीकृत किए जाने वाले कार्यालय पट्टा प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के शासन पृ.क्रमांक

3422-23/खनिज/खनि.2/2020, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/11/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 888/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 888/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 740/गौण खनिज/ल.आ. 01/2020-21 सूरजपुर, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

6. **भू-स्वामित्व** – भूमि की संपूर्ण प्रमाण जमाबंदी के साथ जा है। उत्खनन हेतु भूमि मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, सूरजपुर उपवनमंडल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./3482 सूरजपुर, दिनांक 21/08/2020 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुढ़ानार एवं स्कूल ग्राम–बुढ़ानार 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। गवास 0.7 कि.मी. एवं बंजारी नदी 10 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,000 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 14,380 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 12,661 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 614 वर्गमीटर है। लीज धारक पेन्डुलम विधि से उत्खनन की जाएगी। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की लंबाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्रेश ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी चिमनी की लंबाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 33 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग की जाएगी। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। पूरा लाभ ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का

विदोहन किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	900	5,40,000
द्वितीय	900	5,40,000
तृतीय	900	5,40,000
चतुर्थ	680	6,12,000
पंचम	680	6,12,000
षष्ठम	680	6,12,000
सप्तम	810	7,29,000
अष्टम	810	7,29,000
नवम	920	8,28,000
दशम	920	8,28,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खनन में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निजी खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की चौड़ी में 204 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण में वर्णित उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.54	Following activities at Government Primary School, **Village – Dhenki nala, Budhatand**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water Facility	0.16
			Total	**0.76**

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का एरिया क्षेत्रफल लगभग 5.00 है, जबकि आवेदन में दुरिशत एरिया क्षेत्रफल लगभग 3.60 का उल्लेख हो गया है। इसी प्रकार आवेदन में ईंट उत्पादन संख्या – 920 घनमीटर (6,12,000 नग) प्रतिवर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि माईनिंग प्लान में उक्त का

सम्पादित किया गया है। अतः आवेदन में पार्ट ब्लॉक खसरा क्रमांक 520, क्षेत्रफल – 820 हेक्टेयर (8.12.000 एम) प्रतिवर्ष हेतु पास किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ ऑनलाईन में प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में क्षेत्रफल उत्खनन प्रतिवर्ष एवं अन्य जानकारियों में भिन्नता है। अतः वास्तविक अनुमोदित माईनिंग प्लान के पुष्टिकरण हेतु माईनिंग प्लान के प्रत्येक पृष्ठ में सक्षम प्राधिकारी (खनि अधिकारी) से हस्ताक्षर करा कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 360वीं बैठक दिनांक 31/03/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नवीनतम प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय प्रमाण पत्र के अनुसार लिज एरिया आवेदन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बलौदा के द्वारा पृ.क्रमांक 414/खनिज/खनि.2/2021, बलौदा बाजार, दिनांक 02/03/2021 द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्तुत किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुद्दा नंबर से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के द्वारा क्रमांक 889/खनिज/2020 मुंगेली, दिनांक 24/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बुढ़ानाला) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार किये जाने उपरांत सर्वसम्मति से आदेश – मेसर्स बीएसी सोलर जयपुरवास (कुशवाहा क्रिस अर्थ को ब्राजी माईन एण्ड मिनरल मिनरी क्रिस प्लांट) की ग्राम–कुशवाहा, तहसील–जयपुर, जिला–सूरजपुर के पट्टे क्षेत्र खसरा क्रमांक 630 में स्थित मिट्टी (रोल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 800 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 6,12,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 की संपन्न 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नियमों का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आदेश – मेसर्स बीएसी सोलर जयपुरवास (कुशवाहा क्रिस अर्थ को ब्राजी माईन एण्ड मिनरल मिनरी क्रिस प्लांट) की ग्राम–कुशवाहा, तहसील–जयपुर, जिला–सूरजपुर के पट्टे क्षेत्र खसरा क्रमांक 630 में स्थित मिट्टी (रोल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 800 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 6,12,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

34. मेसर्स अग्रोनी स्टोन क्रशर माईन (श्री – श्री विष्णु साहू), ग्राम–अग्रोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (अधिवास का पत्ती क्रमांक 462)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67114/2018, दिनांक 06/08/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से कारण दिनांक 28/08/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/11/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्रशर स्टोन (रोल खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अग्रोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 78/2 एवं 1307 कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 8,738.2 टन प्रतिवर्ष (क्रशर स्टोन उत्पादन 8,065.28 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन डस्ट 873.92 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर स्टोन (रोल खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अग्रोनी का दिनांक 25/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रस्ता.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 873–2/खनि–4/2018, रायपुर, दिनांक 16/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के प्रमाण क्रमांक 1073/क/ई–निविदा/ख.नि./म.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोयार नाला 108 मीटर एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, श्मशान, स्कूल, पुल, बांध, इनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एस.डी.ओ. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के प्रमाण क्रमांक 386/क/ई–निविदा/ख.नि./म.अ.वि./2018 महासमुंद, दिनांक 26/02/2018 द्वारा जारी की गई थी।

6. कार्यालय उपसंचालक(वि), सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के प्रमाण क्रमांक /भा.वि./3810, महासमुंद, दिनांक 23/07/2018 को जारी क्रमवर्ती प्रमाण अनुसार आवेदित क्षेत्र परिक्षेत्र से 8 कि.मी. दूर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–आरेकोनी 1 कि.मी., स्कूल 1.0 कि.मी., अस्पताल बिलोनी 6.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 9.5 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.4 कि.मी., राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है।

9. परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र व घोषित कैटेगिरायुक्त क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,44,000 टन, माईनेबल रिजर्व 88,800 टन एवं सिमहारेबल रिजर्व 56,661 टन है। प्रति क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। क्षेत्रफल कास्ट मैप्युलर विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 18,812 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	5,833
द्वितीय	5,470
तृतीय	4,987
चतुर्थ	5,832
पंचम	5,482
छठवें	5,979
सातवें	5,590
आठवें	6,065
नौवें	5,482
दसवें	5,094

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 440 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की गहरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आयोजित जनसुनवाई से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिनमें वर्ष 2012 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. एन.ओ.आई. मैपिंग वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रस्तावित कोटेशनल) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण वे समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/02/2020 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/03/2020 को आवेदन निरस्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा गहरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर, परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को स्वीकार किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

38. मेसर्स आर. डी. किशनलाल कन्सटरी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर – श्री राहुल बोलावत), ग्राम–बनहरदी, तहसील–बोगसागर, जिला–राजसमंदराज (प्रतिष्ठान का नवमी अपरांक 880)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीसी /एमआईएन / 307059/2018, दिनांक 26/05/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रथम दिनांक 06/06/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लाईम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–बनहरदी, तहसील–बोगसागर, जिला–राजसमंदराज स्थित खसरा अपरांक 336/2 एवं 337, कुल क्षेत्रफल – 0.728 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 11,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुराकोरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्पादन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज नियमों से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित (प्रदान फोटोग्राफ) के साथ आगामी गठ की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु आने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. प्रस्तुतीकरण के ज्ञापन दिनांक 23/03/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 316वीं बैठक दिनांक 28/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय गोलछा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनारसी का दिनांक 11/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – खानों पाल एलायन्सिस इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं खानों कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभा.), जिला-जयपुर के ज्ञापन क्रमांक क/1587/खनि./लीज-6/2018, दिनांक 02/11/2018 द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजसमंदनगर के ज्ञापन क्रमांक/2066/खनि.02/2019 राजसमंदनगर, दिनांक 16/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आच्छित 3 खदानें क्षेत्रफल 3.012 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजसमंदनगर के ज्ञापन क्रमांक/2066/खनि.02/2019 राजसमंदनगर, दिनांक 16/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एरोड्रम एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री नरेन कुमार जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2003 से 04/04/2013 तक थी। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 10/06/2007 को श्री गणेश खण्डेलवाल के नाम पर किया गया। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र का नवीनीकरण 05 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2013 से 04/04/2018 तक एवं विस्तार वृद्धि 15 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2018 से 04/04/2033 तक की अवधि हेतु किया है। वर्तमान में लीज का हस्तांतरण दिनांक 05/07/2018 को मेसर्स आर. डी. मिनरल (पार्टनर – श्री राहुल गोलछा) के नाम पर किया गया है।

6. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमंदनगर उपखण्ड, जिला-राजसमंदनगर के ज्ञापन क्र./खनि./पत्र 16-1/081 राजसमंदनगर, दिनांक 16/01/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र एम कक्षा क्रमांक 339 से 10.5 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बनारसी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बनारसी 1 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.8 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित ईकोसेंसिटिव क्षेत्र मिल नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,69,920 टन, माइनेबल रिजर्व 94,470 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 85,024 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.252 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। अपनी मिट्टी की मात्रा 1,000 घनमीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आकलन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,933	3	5,800	11,600
द्वितीय	1,800	3	5,400	10,800
तृतीय	1,667	3	5,000	10,000
चतुर्थ	1,533	3	4,600	9,200
पंचम	1,400	3	4,200	8,400

11. परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम टैंकर से की जाती है। खदान में धातु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 800 पौधे वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर के खुले क्षेत्र में कई जगहों पर 4 मीटर तक उत्खनन पूर्व में ही किया गया है। उक्त उल्लंघित क्षेत्र में ओवर बर्डन का भराव कर वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में कुल पत्थर खदान खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327, क्षेत्रफल 0.7708 हेक्टेयर, क्षमता–4,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. 200 पौधे वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 507/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्पादन (मेगावॉट)
2003-04	200
2004-05	120
2005-06	180
2006-07	216
2007-08	300
2008-09	75
2009-10	155
2010-11	135
2011-12	297
2012-13	350
2013-14	235
2014-15	265
2015-16 (13 जून तक)	85
@ 1.67 रुपये/मेगावॉट	मौद्रिक रूप में
2015-16 (15 जुलाई से 16 दिसम्बर तक)	3,440
16 जनवरी से 17 मार्च	–
2017-18	2,710
2018-19	2,800
2019-20	2,850

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barhani:	
			Solar Lighting System	Rs. 0.30
			Plantation with Fencing	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.40

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म-2, फार्म-1, प्री-फेसिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माइनिंग प्लान में खदान की अनेक्षित उत्खनन क्षमता – 11,800 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(ब) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. कुटिला प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख की गया था। अतः प्रस्तुत फार्म-2, फार्म-1, प्री-फेसिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माइनिंग प्लान में खदान की अनेक्षित उत्खनन क्षमता – 11,800 टन प्रतिवर्ष को ही मान्य किया जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त पर्यालोचना से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 30/09/2020 के परिपत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2020 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(द) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत पत्र/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अधीन है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुपालन किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2020 एवं 30/09/2020 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 07/08/2017 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:-

   "Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not carryout within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC."

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त ओ.एम. के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को अनुरोध किया जाए।

तत्पश्चात एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19/03/2021 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19/03/2021 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना बताया गया है।

2. सीमा क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 850 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 350 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 1,000 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

3. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन सिविल मूल अधिकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 15/09/2016 को पारित आदेश में पुनः क्रम से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2066/खनि.02/2018 राजनांदगांव, दिनांक 16/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.012 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बनहारदी) का रकबा 0.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बनहारदी) को मिलाकर कुल रकबा 3.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से ज्यादा कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स आर. डी. मिनरल्स बनहारदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर – श्री रहुल गोलछा) की ग्राम-बनहारदी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327 में स्थित कुल पत्थर (लीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.708 हेक्टेयर, क्षमता – 11,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 की संपन्न 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स आर. डी. मिनरल्स बनहारदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर – श्री रहुल गोलछा) की ग्राम-बनहारदी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327 में स्थित कुल पत्थर (लीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.708 हेक्टेयर, क्षमता – 11,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

38. मेसर्स श्री प्रदीप कुमार शर्मा (लाईम स्टोन माईन), ग्राम-नैराकुर्रा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (संचालन का नस्ती क्रमांक 366)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 44502/2018, दिनांक 29/10/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंकित जानकारी दिनांक 04/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित माईनर की माईन (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नेमाकोटा, तहसील–बोनरगढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल–2.28 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **प्रस्तावक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु आने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नेमाकोटा का दिनांक 12/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लीज का क्षेत्रफल 1.288 हेक्टेयर उल्लेख किया गया है। जबकि आवेदन 2.28 हेक्टेयर का है। अतः उक्त क्षेत्रफल हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. **खनन योजना** – खदान प्लान (मिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान एण्ड माईनिंग प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (टेक्नोलॉजी), जिला – रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 8104/टेक्नोलॉजी (जे.डी.)/माईनिंग प्लान/माईनर को – राजनांदगांव /एफ. नं. 1/2017 नया रायपुर, दिनांक 08/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2512/खनि. 02/2019 राजनांदगांव

दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आलोच्य खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य माईंस की माईंन खदानों की संख्या निल है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत केलकुलेट माईंस में 500 मीटर के भीतर 1 अन्य खदान की खदान स्थित है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय अस्तित्व आएगा, जब एक क्षेत्र के परिसरों के बीच दूरी उस संदृश्य खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु प्रोपोजिनियस निकटतम क्षेत्र में स्थितखदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो, शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2502/खनि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं इमारत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 150 मीटर की दूर पहाड़ी पर गढ़माता मंदिर स्थित है।

5. **लीज का विवरण** – लीज की प्रदीप कुमार शर्मा के नाम पर है। लीज क्षेत्र 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/07/1984 से 06/07/1989 तक की अवधि हेतु थी। जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 07/07/1989 से 06/07/1994, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1994 से 06/07/1999, तृतीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1999 से 06/07/2019 तक किया गया। तत्पश्चात 15 वर्षों, दिनांक 07/07/2019 से 06/07/2034 तक अवधि वृद्धि की गई।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि की विक्रय सिद्ध के नाम पर है। जानकारी हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, जिला– राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक म.वि./ए.क. 25/1626 डोंगरगढ़ दिनांक 14/05/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित स्थल से नजदीकी वन खंड क्रमांक 552 की दूरी 1.485 किलोमीटर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रेगाकोटा 1 कि.मी., स्कूल रेगाकोटा 0.7 कि.मी., अस्पताल डोंगरगढ़ 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संभव एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,42,000 टन माईनेबल रिजर्व 2,14,000 एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,04,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी बीच पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.888 वर्गमीटर है। वर्तमान में 3 मीटर से 5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। क्रोमाइट कायर्ट मैनुअल मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध स्टॉकिंग नहीं है एवं डम्पसाईट का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,333	1.5	5,000	10,000
द्वितीय	3,333	1.5	5,000	10,000
तृतीय	3,333	1.5	5,000	10,000
चतुर्थ	3,333	1.5	5,000	10,000
पंचम	3,333	1.5	5,000	10,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें	3,333	1.5	5,000	10,000
सातवें	3,333	1.5	5,000	10,000
आठवें	3,333	1.5	5,000	10,000
नौवें	3,333	1.5	5,000	10,000
दसवें	3,333	1.5	5,000	10,000

12. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं टैंकरों की आपूर्ति कॉन्ट्रेक्ट के माध्यम से की जाती है। इस कार्य आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चाईना क्ले खदान खसरा क्रमांक 862, क्षेत्रफल 2.28 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़(छ.ग.) द्वारा दिनांक 21/01/2010 को जारी की गई। उक्त स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला- राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/ 6006/खनि 02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/12/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1,000
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	147
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	349
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	1,400
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	800
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	300
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	850
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	700
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	340
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	300
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	200
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	900
अप्रैल 2020 से जून 2020	निरंक

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निम्नानुसार वर्षवार निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt Middle School, Village- Rangakathera	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	0.10
			Total	0.50

16. अनुशंसित्त के दौरान समिति के समक्ष यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र पर कुछ स्थित है, जिसे माईनिंग प्लान का अंग दस्तावेजों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त कुर्सी की कटाई किया जाना प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता होने पर ही इस कुर्सी की कटाई संबंध प्राधिकारी से अनुमति लेकर की जायेगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार 500 मीटर का प्रभाव चक्र प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदन अनुसार 2.28 हेक्टेयर हेतु जारी वन मंत्रालय का अस्थायी प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपलब्ध समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/01/2021 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/6062/खनि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/12/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.93 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्र विस्तारवीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच पूरी उस समूह अवैध क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस लिथोस क्षेत्र में विस्तारवीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की पूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

2. उपखण्ड के संबंध में उप संचालक भूगर्ववेत्ता का दिनांक 12/03/2020 का 2.28 हेक्टेयर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था है कि परियोजना प्रस्तावक को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर, प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/03/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2021 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/183/खनि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 18/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सन्दीप नारायण सिन्हा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य,

(ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (खनि शाखा), जिला–राजसमन्द के ज्ञापन क्रमांक/195/खनि.02/2021 राजसमन्द, दिनांक 18/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रेलाकलेत) का रकबा 2.28 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री प्रदीप कुमार वर्मा (माईन्स ऑफ माईन्स) की ग्राम–रेलाकलेत, तहसील–केलवाड़ा, जिला–राजसमन्द के खसरा क्रमांक 862 में स्थित माईन्स ऑफ (मिनि खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.28 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की कटाई न की जाए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। वृक्षों को काटे जाने की स्थिति में, काटे गये वृक्षों के 10 गुना आम एवं अन्य फलदार पौधे स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर रोपित किये जाये तथा इनकी 3 वर्ष तक रख–रखाव की व्यवस्था कर ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 104वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री प्रदीप कुमार वर्मा (माईन्स ऑफ माईन्स) की ग्राम–रेलाकलेत, तहसील–केलवाड़ा, जिला–राजसमन्द के खसरा क्रमांक 862 में स्थित माईन्स ऑफ (मिनि खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.28 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

37. मेसर्स श्री अमन कुमार वर्मा (कसारिया सैण्ड माईन, ग्राम–कसारिया, तहसील–कटारोल, जिला–कोटा), निवाली–कारखाना एरिया, कटारोल, तहसील–कटारोल, जिला–कोटा (अधिवालन का नवमी क्रमांक 1416)

ऑफलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसआईए / सीएफ / एमआईएन / 176456/2020, दिनांक 10/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (मैनेल ऑनिक्स) है। यह खदान ग्राम–कसौंदा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 430, कुल क्षेत्रफल – 11.606 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अरिंदल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 30,360 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की मंशा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्पश्चात चर्चोपरान्त से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, डाटाम में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क्स (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) के आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिशर्त रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिज से उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंपनला भी प्रस्तुत किया जावे।
6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावलोकन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परिवीक्षण प्रसारक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परिवीक्षण प्रसारक को एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सूचित कुमार वर्मा, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमझर का दिनांक 21/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार पट्टा खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **खनन योजना** – संशोधित खनन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रसा.), जिला-कोरबा के क्रमांक क्रमांक/2887/खनि-6/2020 कोरबा, दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के क्रमांक क्रमांक 2811/खनि-03/रेत नी. (कसौना)/न.क. 19/2019 कोरबा, दिनांक 01/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के क्रमांक क्रमांक 2812/खनि-03/रेत नी. (कसौना)/न.क.19/2019 कोरबा, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज क्षेत्र का विवरण** – लीज की अवधि कुमार वर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के क्रमांक 1328/खनि-03/रेत नी. (कसौना)/न.क.19/2019 कोरबा, दिनांक 31/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कसलेरा 0.7 कि.मी., लघुतम कसलेरा 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल ढेलवाडीह 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। एनीकट खदान से 300 मीटर की दूरी पर आरक्षणडीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 412 मीटर एवं चौड़ाई – 51 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 18 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 30,360 घनमीटर है। रेत प्रावधान हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.80 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में सर्वश्री, ग्राम पंचायत ढाबड़ा (ग्राम–कसलेरा) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 430, क्षेत्रफल 2.03 हेक्टेयर, क्षमता– 28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 23/03/2020 द्वारा सर्वश्री, ग्राम पंचायत ढाबड़ा (ग्राम–कसलेरा) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को भी अगले सुनवाई वर्ष के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शर्त अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के क्रमांक 4009/खनि–03/रेत नी.(कसलेरा)/पत्र.19/2019 कोरबा, दिनांक 28/10/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उल्लंघन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017–18	9,000
2018–19	8,000
2019–20	1,000

v. निर्धारित मानकानुसार पूरा किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत खनन के क्रेडाइस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित खनन के चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पूरा 25 मीटर के बिच बिन्दुओं का दिनांक 12/10/2020 को रेत खनन के क्रेडाइस लेआउट (Layout) नेचर, उनकी खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.59	2%	0.39	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Dhapthap	
			Rain Water Harvesting System	0.34
			Plantation	0.05
			Total	0.40

समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 16 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान में नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर पाया जाकर उत्खनन प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अतः नये दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की बैठक दिनांक 19/01/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. माईनिंग प्लान अनुसार जिन क्षेत्रों में नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 220 मीटर एवं न्यूनतम 160 मीटर है उन क्षेत्रों में खदान की नदी तट से किनारे से दूरी क्रमशः अधिकतम 70 मीटर एवं न्यूनतम 56 मीटर है। अतः मैप माईनिंग क्षेत्र छोड़े जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।
2. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 414 मीटर, न्यूनतम 470 मीटर एवं गहराई – अधिकतम 02 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 56 मीटर है।
3. रेत की उपलब्ध गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.86 मीटर है। प्रस्तुत पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 1.86 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की गहराई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत भराव की गहराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की गहराई 2 मीटर से अधिक है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तात्कालिक आंकड़ों का सम्प्रदेश नहीं किया गया है। अतिरिक्त नदी छोटी नदी है एवं इसमें वर्तमान में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवंटित खदान (ग्राम–कसौना) का रकबा 2.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** — प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त चहुंद मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) द्वारा नदी आकार, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं स्थल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में भाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निवार निवर्ती उपरांत सर्वसम्मति से की अपर कुमार वर्मा, कसौना सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 430, ग्राम–कसौना, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अतिरिक्त पानी तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। विचार निर्णय उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की अपर कुमार वर्मा, कसौना सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 430, ग्राम–कसौना, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय

स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरणीय प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

38. मेसर्स श्री अभिषेक साहू (एस–1, नमन सेल्स साईन), ग्राम–नगरा, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का पत्रांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईएन / 183204/2021, दिनांक 15/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (लीज खनिज) है। यह खदान ग्राम–नगरा, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 736 एवं 1183, कुल क्षेत्रफल – 4.00 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अटेन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आंकलित उत्खनन क्षमता – 66,120 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 265वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **प्रस्तावक कार्यसूची से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, ग्रेडिंग में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु जम से जम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के कार्डिनेट, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उतनी गहराई कम, नदी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख पर्यावरण प्रभाव में अनिवार्य रूप से करवाया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्थल की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक

है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार वृक्षों के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

7. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियम नियमों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खदान की वर्तमान की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सूसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 166वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गमहन का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण एवं अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 65/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 06/खनि/न.प्र.14/2021 सूरजपुर, दिनांक 06/01/2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 360/खनि/भू.प्र. 14/2021 सूरजपुर, दिनांक 06/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, तटबंध, मंदिर, मस्जिद, मजार एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अनिमेष साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3281/ भौ. खनि./वि.अ./भू.प्र.14/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/भ.नि./4883 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवना 2 कि.मी., समूह ग्राम–नवना 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 204 मीटर की दूरी पर डायनमाईट में एवं एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर अमोनियम में स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1008 मीटर, न्यूनतम 1007 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 83,720 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत भंडार की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 6 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.37 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संलग्नक भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत खनन के लेआउट** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 25/01/2021 को रेत खनन के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हीं सहित मिनरल के प्रस्तावीकरण उपरांत कंटोरलाइन सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी के लाभ विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
31.8	2%	0.63	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Namra**	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.15
			Total	0.65

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत प्रतिबंधित उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3.183 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पूल खदान में 204 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में एवं एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पूल अपस्ट्रीम में एवं एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पूल की दूरी कम से कम 250 मीटर एवं एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पूल की तरफ से खदान से 46 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 293 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तदानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 13.757 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. तदानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 16.940 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.256 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि खदान क्षेत्र की न्यूनतम लंबाई 1027 मीटर है। पूर्व एवं पश्चिम की तरफ से खदान से 338 मीटर कम किये जाने पर न्यूनतम लंबाई 734 मीटर होता है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। जिसमें 3 मीटर दूरी का क्षेत्र अधिक है। अतः नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर गणना में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र की गई गणना से अधिक होगा। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः वास्तविक गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त नियमों अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 364वीं बैठक दिनांक 27/02/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/ स्पष्टीकरण दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(H) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/2021 कोरिया दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**
   i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 4,232 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
   ii. पूर्व खदान से 204 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में एवं पश्चिम खदान से 207 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पूर्व डाउनस्ट्रीम में एवं पश्चिम अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पूर्व की दूरी कम से कम 250 मीटर एवं पश्चिम की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पूर्व की तरफ से खदान से 46 मीटर एवं पश्चिम की तरफ से खदान से 293 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तदनुसार माईनिंग प्लान अनुसार 18,800 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
   iii. तदनुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 18,800 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः इस वृक्षारोपण का कार्य खदान के अवशेष 2.99 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अंटेन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-नगना) का रकबा 4.28 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रारंभिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत कार्य पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, भूजल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ठिक बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का कार्य पूर्व निर्धारित ठिक बिन्दुओं पर किया जावेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ठिक बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ठिक बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जनवरी 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की अतिरिक्त साबू, एस-1, नगना सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 726 एवं 1183, ग्राम-नगना, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.28 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 18,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 3.50 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की चुकाई समिति द्वारा (Manually) की जाएगी।

रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में बिना रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से निर्धारित माईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवैध माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/06/2021 की संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री अभिषेक साहू, एस–1, नमन सेल्स माईन, खसरा क्रमांक 736 एवं 1184, ग्राम–नमना, तहसील–घेमनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.88 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 18.900 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.89 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

संशोधित प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

20. मैसर्स श्री अभिषेक साहू (एस–2, नमना सेल्स माईन), ग्राम–नमना, तहसील–घेमनगर, जिला–सूरजपुर (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 1577)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 193301/2021, दिनांक 15/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम–नमना, तहसील–घेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 737, 584 एवं 585, कुल क्षेत्रफल – 4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अवधि नदी से बिना जल प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 64,628 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुल्स 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। एक्स लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में

टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसी खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में अनुमोदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने उस निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निबंधित/नीबंधित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निबंधित/नीबंधित कर्ता पंजित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 13/खनि/न.क.15/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य कि खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 11/खनि/न.क. 15/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. की अभिषेक साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1091/ सी. ऑर/रिजी./न.क.15/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपसंचालक/वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर उपवनमंडल, सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/क्र.वि./4867 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2018 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नगर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–नगर 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 कि.मी. दूर है। पूरा खदान में 311 मीटर की दूरी पर अस्पताल में स्थित है। प्रस्तुत सि खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 932 मीटर, न्यूनतम 805 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 72 मीटर, न्यूनतम 63 मीटर

दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 37 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 84,528 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.38 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के कि बिन्दुओं पर दिनांक 26/01/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Nanna	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.15
			Total	0.65

16. **कैप्टिव माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 37 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत अधिकतर

उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 127 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अवस्थीत में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल अवस्थीत में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 189 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 7,388 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 7,486 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः ऐसे उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.231 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान क्षेत्र की न्यूनतम चौड़ाई 43 मीटर है। पुल की तरफ से खदान से 189 मीटर छोड़े जाने पर कम से कम 8,127 वर्गमीटर क्षेत्र होता है। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 7,388 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः वास्तविक गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 27/02/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नवीनतम प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 488/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**

   i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 156 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 127 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

   ii. पुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अवस्थीत में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल अवस्थीत में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 189 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित

किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 0.487 हेक्टेयर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 0.614 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.218 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलकटी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतैव नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–गमना) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वास कार्य** – प्रस्तावित से अवैध रूप नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस आदि) पौधे लगाए जावेंगे। इसके अतिरिक्त वृहद मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जावेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जावेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक जनवरी माह में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री अभिषेक साहू एस–2, नमन सिन्ध माईन, खसरा क्रमांक 121, 584 एवं 585, ग्राम–गमना,

तहसील–टेमलगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.88 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 0.874 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 4.016 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी मशीनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लेकिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 12वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की अभिषेक साहू एस–2, नमना क्षेत्र माईन, खसरा क्रमांक 727, 884 एवं 885, ग्राम–नमना, तहसील–टेमलगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.88 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 0.874 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 4.016 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

46. मैसर्स श्री कौशलेन्द्र पूरन (एक–1, उमेशपुर सैण्ड माईन), ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (प्रभिलाख का नस्ती क्रमांक 5522)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईएन / 166202/2021, दिनांक 15/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर खनिज) है। यह खदान ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 48 एवं 1414, कुल क्षेत्रफल – 4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोमती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 80,802 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 27/01/2021

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड आकार, प्रतिसम्प में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर,

प्रस्तुत किये जावें। इनके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। क्षिप्त मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गहराई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पता कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु जल्द मार पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनिवार्य शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो जिला स्तरीय में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निदेशक एवं परियोजना प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार यदि निदेशक एवं परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रमाण दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा खनी, प्रस्तुत आपत्ती का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रा० उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उमेशपुर का दिनांक 23/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर सीमित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सोनभद्र के ज्ञापन क्रमांक 87/खनिज/2021 मोनिका बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 21/खनि/न.क. 18/2021, सूरजपुर, दिनांक 08/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य ग्रेनाइट खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनि/न.क. 18/2021, सूरजपुर, दिनांक 08/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की कॉपी/पूर्वा की नकल पत्र है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1088/सी.ग्रा.रे./वि.अ./न.क.18/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उमेशपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–उमेशपुर 4.5 कि.मी. एवं अस्पताल रामानुजनगर 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 70 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 225 मीटर की दूरी पर आरक्षित वन स्थित है। स्वीकृत ग्रेनाइट खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल का नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल का नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1456 मीटर, न्यूनतम 1400 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 47 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर

दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 60,822 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.31 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/01/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/डायाग्राम प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष दिशार से वर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
39.7	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Umeshpur	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for Toilets	0.20
			Total	0.80

15. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 156 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,300 वर्गमीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.54 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान क्षेत्र की अधिकतम 1455 मीटर, न्यूनतम 1420 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। अतः नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में नॉन माईनिंग क्षेत्र की, की गई गणना से अधिक होगा। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में नॉन माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः वास्तविक नॉन माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार नॉन माईनिंग क्षेत्र की गणना (ग्राम से ग्राम 8 तेंदूआन में निर्धारित कर) करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 364वीं बैठक दिनांक 27/03/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 29/03/2021:

समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का आकलन एवं चर्चा करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 887/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। नदी दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,940 वर्गमीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.588 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. रेत उत्खनन गैरमुक्त तिथि से एवं भराई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलस्थली आकृतियों का सत्यापन नहीं किया गया है। गंगेवली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में अधिकतम 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया जाने उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-उमेरपुर) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नदी तट पर कुल 2,600 नग पौधे – 1,200 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,200 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 200 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं मृदा जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिन बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर / नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से की कोसलेन्द्र पुरवा, एम–1, उमेशपुर सीमा माईन, खसरा क्रमांक 46 एवं 1414, ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजगंज, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3.940 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.588 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। नियर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का नीचे पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/05/2021 की संपन्न 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यालयी से समिति की अनुशंसा को मंजूर करते हुये की कोसलेन्द्र पुरवा, एम–1, उमेशपुर सीमा माईन, खसरा क्रमांक 46 एवं 1414, ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजगंज, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3.940 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.588 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की

गहराई तक खोदित गड्ढे हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

41. मेसर्स भारिका स्टील एण्ड एलॉयज इन्फ्राटेक, ग्राम–तुमिडीह, ओ.सी. जिन्दल इण्डस्ट्रियल पार्क, तहसील–धरसींवा, जिला–रायगढ़ (अधिवालय का नवमी क्रमांक 815)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 342481/2019, दिनांक 08/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् से प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 342481/ 2019, दिनांक 20/01/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ओ.सी. जिन्दल इण्डस्ट्रियल पार्क, ग्राम–तुमिडीह, तहसील–धरसींवा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 186 एवं 188(ए), कुल क्षेत्रफल – 2.76 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस सिंक रीसीडिंग (10 टन गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 66,400 टन प्रतिवर्ष से इण्डक्शन फर्नेस सिंक रीसीडिंग (12 टन गुणा 4 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 1,42,080 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में आवंटित इकाई की विनियोग लागत 15.09 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग लगत 6.05 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/07/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इण्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कंपनी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सदस्यगणों से विस्तारपूर्वक निर्णय लिया गया कि:–

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपलब्ध समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव कोष्ठकों सहित) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 262वीं बैठक दिनांक 22/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजा नर्रा, पार्टनर एवं नेलसन एनवायरो (सेमीकंडक्टर) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीवास्तव की उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

- पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 760, दिनांक 06/12/2017 द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 14/01/2021 के द्वारा कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 2 शर्तों का पालन नहीं किया गया है एवं 2 शर्तों का आंशिक पालन बताया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना बताया गया:-

  i. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेल का गठन किया गया है।

  ii. हाउस किपिंग के सुधार हेतु अतिरिक्त वीटर सिक्योरिटी की स्थापना की गई है।

  iii. परिसर के 35.14 प्रतिशत क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसकी वृद्धि हेतु 600 नग वृक्ष प्रतिस्थापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

  iv. पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। आगामी प्रतिवेदन ऑनलाईन के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, ओटल नगर से इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 13/11/2018 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम-धुमिडीह 0.37 कि.मी. एवं शहर बालोद 16.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन धमतरी 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रमार्ग 1.8 कि.मी. है। जेलवे नदी 2.7 कि.मी., मालहर नाला 7.8 कि.मी. एवं रेवो बांध 7.87 कि.मी. की दूरी पर है।

- उर्दगा आरक्षित वन 8.8 कि.मी., बालकवन आरक्षित वन 8.1 कि.मी., खरेडुबरी आरक्षित वन 5.7 कि.मी., एवाईपल आरक्षित वन 7.3 कि.मी., रेवो आरक्षित वन

7.8 कि.मी., गणकमना आवंटित कर 2.6 कि.मी. एवं जलापूर्ति संबंधित कर 0.7 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 2.76 हेक्टेयर है, जिसमें से कंवट्टी क्षेत्र एवं विस्तार का क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर, रोड एवं पेव का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.08 हेक्टेयर (39 प्रतिशत) होगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

5. **दी–मटेरियल (प्रस्तावित कार्यकलाप) –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Mode of Transport
a)	Sponge Iron	1,32,615	By Road (through covered trucks)
b)	CI/Pig Iron / Heavy Scrap	29,224	By Road (through covered trucks)
c)	Ferro Alloys & Aluminium	1,463	By Road (through covered trucks)
d)	Ramming Mass and Refractory Lining	209	By Road (through covered trucks)

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Configuration & Capacity	Configuration & Capacity After Proposed Expansion
MS Ingots / Billet	10 T X 2 Nos. Induction Furnace along with CCM (59,400 TPA)	*12 T X 4 Nos. Induction Furnace along with CCM (1,42,560 TPA)
Note – * Up-gradation of its 10 T X 2 Nos. of induction to 12 T X 4 Nos. Induction Furnace		

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बुशिंग, भर्तक कुंड के साथ डस्ट कलेक्टर तथा बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु वर्तमानुसार मेटल का उत्पादन 30 मिलियन/सामान्य पार्टिकल से 30 मिलियन/सामान्य पार्टिकल कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीलड डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस से डिस्कार्डेड स्लैग – 3,862 टन प्रतिवर्ष, स्क्रैप – 18,788 टन प्रतिवर्ष एवं दी–कंवट्टी स्लैग – 125 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिस्कार्डेड स्लैग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में दी–मटेरियल के

बन्ध में उपयोग किया जाएगा। शहर को नेटवर्क रिक्लामेशन यूनिट्स की डिलिवर किया जाएगा। सी-कंबाईन नेक्ट रिसाईकल/लेण्ड फिल को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्टों के अपघटन हेतु उपयोगी व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन (पेयजल उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 66 घनमीटर प्रतिदिन (पेयजल उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 63 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। जिसके लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को एकत्र कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपयोगी व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 2.4 घनमीटर प्रतिदिन है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को डिसइंफेक्शन कर गुणवत्ता में पुनःउपयोग किया जाएगा। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पुराने एवं खराब उपकरणों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल निकासी के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल एकत्रीकरण 11,073 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित रिचार्ज पिट के स्थान पर 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्व एकत्रीकरण को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इसमें समान मात्रा में वर्षा जल का संग्रहण हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्थिति** – परियोजना हेतु कुल 12 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति निदेश मॉडल एनर्ज पॉवर लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का 1 नग डी.जी. सेट स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना में प्रस्तावित वनस्पति के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.87 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,888 नग पौधे रोपित किये गये हैं एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त 0.08 हेक्टेयर क्षेत्र में 154 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1.05 हेक्टेयर (38 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,012 नग वृक्षारोपण होगा।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – परियोजना कार्य 15 मार्च से 15 जून 2018 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. परियोजना परिसरों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.3 से 28.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.4 से 88.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 4.7 से 20.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{2}$ 14.1 से 30 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 61.7 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.2 डीबीए पाया गया।

iii. भारी वाहनों / मशीनरीयुक्त हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुए ट्रैफिक आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

iv. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार के कार्य अन्तर्गत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	1%	5.0	Following activities at Nearby 1. Government Middle School Village-Tumidih	
			Rain Water Harvesting System	1.65
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.25

			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**3.30**
			2. Government Primary School **Village-Turidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water Facility	0.75
			Running Water Facility for Toilets	0.35
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**1.80**
			3. Government Primary Indira Awas School, **Village-Turidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**1.00**
			Grand Total	**5.90**

14. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 03/12/2020 प्रातः 11:00 बजे ग्राम अंबारी मंदिर प्रांगण, ग्राम–तुरीडीह, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में आयोजित हुई। लोक सुनवाई कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 31/12/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   1. उद्योग द्वारा गतिविधि का परिचालन एवं पर्यावरण बनाकर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस हेतु किसी प्रकार का नगद भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ii. जैसे उत्तराखण्ड में मलबा पालन हेतु 10 प्रतिशत छूट प्राप्त किया गया है जिस पर मलबा पालन किया जा रहा है। उद्योग के अपना विस्तार एवं आस-पास स्थित अन्य उद्योगों से प्रदूषण होने की संभावना है।

iii. कोविड-19 महामारी के कारण केवल 100 व्यक्तियों को ही अपना विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान है, जबकि जनसुनवाई का अर्थ ही लोगों की सुनवाई अर्थात् उद्योग स्थल के आस-पास के लोगों की सुनवाई है। इस प्रकार वर्ग विशेष को वंचित करना तथा लक्षित विशेष को स्थान देना पूर्ण तरह अनुचित है। साथ ही उद्योग स्थापित करने व विस्तार से विभिन्न परेशानियां जैसे बढ़ती यातायात, ध्वनि प्रदूषण, धूल प्रदूषण, वायु प्रदूषण अपने शीर्ष पर है।

iv. पूर्वोत्तर पर्वतीय अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पर पेसा एक्ट कानून लागू है। इस कानून के तहत ग्राम पंचायतों से अनुमति लेने का प्रावधान है।

v. प्रभावितता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

vi. पूर्वोत्तरवर्ती क्षेत्र, उद्योग स्थल से 10 कि.मी. के भीतर उत्तराखण्ड राज्य की पहाड़ी जिलों आस पास क्षेत्र इसी प्रभावित क्षेत्र है। हाल्दिया द्वारा कृषकों की फसलों का नुकसान एवं कई अन्य स्थानीय व्यक्तियों को कुप्रभावित करने का भी रिपोर्ट जारी किया गया है तथा इस क्षेत्र में 12 महीने वाहनों का आना-जाना लगभग लगा रहता है। जबकि ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस क्षेत्र को इसी प्रभावित क्षेत्र नहीं होना बताया गया है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

i. उद्योग ओ.पी. जिंदल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में स्थापित है तथा इस औद्योगिक पार्क हेतु पीएलसीएल द्वारा निर्मित आवासीय-कार्ड तथा सड़क एवं पार्किंग आदि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी ने कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी अन्य की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है।

ii. उद्योग द्वारा वर्तमान में विद्युत चलित इन्फ्लक्शन फर्नेस का उपयोग किया जाता है एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु भी इन्फ्लक्शन फर्नेस का उपयोग किया जाएगा। ईंधन का उपयोग प्रस्तावित नहीं है। अतः परिवेशीय वायु पर पैदैक उत्सर्जन के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। तथा मलबा पालन पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा।

iii. भारत सरकार द्वारा कोविड-19 में लोक सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी है। शासन द्वारा दिये निर्देश के अनुपालन में एक स्थान पर 100 व्यक्तियों से अधिक प्रवेश सीमित था तथा उपस्थिति 100 व्यक्तियों से अधिक होने की दशा में अनुमति पूर्व पर दो पृथक-पृथक सभाएं आयोजित गयी थी, जिससे सभी को अपना अभिमत रखने का अवसर मिल सके। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु इन्फ्लक्शन फर्नेस इकाईयों में उपयुक्त क्षमता की बैग फिल्टर स्थापित किया जाएगा। न्यूनतिकरण कार्य उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

iv. नियमानुसार इकाई क्षेत्रफल, निजी क्षेत्रीय पार्क में संचालित है एवं अमला निजी पार्क में किया जाना है। अतः ग्राम पंचायतों की अनुमति आवश्यक नहीं है।

v. निर्धारित कंटेजपार्ट की पॉलिसी के आधार पर स्थानीय लोगों की आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

vi. क्षेत्र एनीमेन्ट कॉरिडोर में आच्छादित नहीं आता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट के अध्याय – 3 के 3.8 के अनुसार आवागमन क्षेत्र में हाथियों का आवागमन होना प्रतिवेदित किया गया है। 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार करने हेतु निर्धारित सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्र.म.) एवं मुख्य वन्यप्राणी) के समक्ष आवेदन किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक आवागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की जाए।
3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार "Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard." जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपलब्ध समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 362वीं बैठक दिनांक 29/03/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 26/03/2021 को प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा भारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक आवागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अमला दिवाल के उपयोग से टी–पोर्टियल / ओवरब्रिज के निर्माण हेतु सड़क मार्ग की ओर सीमित अमला निर्धारित मानक के भीतर है।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किये जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के पालन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर के

समक्ष आवेदन किये जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथावश्यक प्रस्तुत किये जाने की जानकारी दी गई है।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 722, दिनांक 08/12/2017 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध स्वीकृति निरस्त किये जाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी., डिविजनल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष श्री रमेश अग्रवाल द्वारा दायर याचिका भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य – ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 33/2019 (CZ) में विचाराधीन है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से इस्पातिन कार्यालय के समक्ष ओ.पी. जिंदल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राम–तुमिडीह, तहसील–धरसीवा, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 186 एवं 186(ए), कुल क्षेत्रफल – 2.18 हेक्टेयर में इन्फ्लक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (10 टन गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष से इन्फ्लक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (12 टन गुणा 4 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 1,42,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लिए गए निर्णय माननीय एन.जी.टी., डिविजनल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 33/2019 (CZ) में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन होगा।

2. 10 किलोमीटर की परिधि में इकाइयों का अव्यवस्थित क्षेत्र पाये जाने के कारण उपयोग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर, योजना अनुसार कार्य संपादित किया जाए तथा अनुमोदित योजना की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार "Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard." के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रस्तावित प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 74वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गहरी चर्चा का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार "क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 31/03/2021 द्वारा मैसर्स ओ.पी. जिंदल एण्ड एसोसिएट एसएसएल, औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–तुमिडीह, पुरैनीआर, जिला–रायपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई वाद या प्रकरण दायर नहीं किया गया है।" संबंध जानकारी प्रस्तुत की गई है।

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि ओ.पी. जिंदल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राम–तुमिडीह, तहसील–धरसीवा, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 186 एवं

1988(ए). कुल क्षेत्रफल – 2.76 हेक्टेयर में इमारतों वर्गीय मिश्र सीसीएल (10 टन मूल्य 2 नग) (एम.एस. इंगट/बिलेट) क्षमता – 88,400 टन प्रतिवर्ष से इमारतों वर्गीय मिश्र सीसीएल (12 टन मूल्य 4 नग) (एम.एस. इंगट/बिलेट) क्षमता – 1,42,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

42. मेसर्स श्री प्रवेश जैन (गढ़बेलाल सेण्ड माईन, ग्राम–गढ़बेलाल, तहसील व जिला–बलरामपुर), सोनपुर रोड, जैन स्टील, देवांगन पारा, तहसील व जिला–बलरामपुर (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1414)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 178373/2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (तीन खनिज) है। यह खदान ग्राम–गढ़बेलाल, तहसील व जिला–बलरामपुर स्थित खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–1.000 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुसुंदर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 16,330 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**–

1. एस.ओ.आई. /लीज डीड की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के फाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित मध्य एवं प्रस्तावित मध्य के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पृथक 25 मीटर का ब्लॉक बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ब्लॉक मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी अंकित किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ब्लॉक मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें सहित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के फाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उपरांत गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया

जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमों पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित ब्लाक से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोतों की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त ब्लाक पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमों पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित ब्लाक पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंपन्डा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवंटित ब्लाक पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परिवेक्षण प्रशाखा को खदान में रेत के लेवलिंग (Levels) करने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपलब्ध समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिवेक्षण प्रशाखा को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आगामी दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विक्रम जैन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गढ़धनौरा का दिनांक 14/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निस्तारित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निस्तारित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जारी प्लान की कार्यालय लेटर (आवक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 246/खनिज/रेत खदान/2020–21 गरियाबंद, दिनांक 18/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 200/खनिज/रेत खदान/2020–21 गरियाबंद, दिनांक 21/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. की प्रोसेस फीस के साथ जा है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्र 241/खनिज/ख.नि./2019–20 गरियाबंद, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलेक्ट में 2 वर्षों हेतु लीज निष्पादित की गई है। लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गढ़देवल 2.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–गढ़देवल 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल गरियाबंद 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 800 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 30 मीटर दर्शाई गई है। खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं माईनिंग प्लान के अनुसार खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 16,200 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में सर्वश्री, ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 801, क्षेत्रफल 1.620 हेक्टेयर, क्षमता- 8,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 25/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 12/12/2018 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री प्रदेश सैन के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित दिए बिन्दुओं पर लिए गये रेत स्तर के लेवल्स (Levels) को चित्र पेश में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 263/ खनिज/ रेत खदान/ 2020-21 गरियाबंद, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019-20	820
2020-21	1,180

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/08/2020 को रेत सतह के वास्तविक लेवल्स (Levels) लेकर, उनसे खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary Health Care Center **Village: Garibbengal**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Total	**0.40**

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के सीमा तक में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर सर्वे किया गया है। उक्त सर्वे से पर्याप्त आंकड़े प्रदर्शित नहीं हो रहे है। अतः 5 मीटर पुनः 5 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर सर्वे किया जाना चाहिए। साथ ही खनन स्थल की औसत लंबाई – 500 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 20 मीटर दर्शाई गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खनन क्षेत्र की लंबाई के अनुदिश (Along) उत्खनन की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। माईनिंग प्लान में

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. खाली प्लान अनुमोदन की फाइनल लेटर (प्रारूप क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. लीज डीड मसौदा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा चारोंओर से 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर पुनः 5 मीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये।
4. मानसून के बाद (अगस्त/सितम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनर्भरण) फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. खनन क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 50 मीटर नहीं होने की स्थिति में नये दिशा निर्देशों के अनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
7. परिपोषण प्रमाणपत्र की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 19/01/2021 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(vi) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 12/02/2021-

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 348वीं एवं 349वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/11/2020 एवं 08/12/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिक्रम में परिपोषण प्रमाणपत्र की प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 02/12/2020, 19/01/2021 एवं 16/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परिपोषण

प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।

2. परिवेशगत प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

3. परिवेशगत प्रस्तावक को वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परिवेशगत प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु स्थगन पत्र लेख के लिए निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 288वीं बैठक दिनांक 12/02/2021 के परिक्रम में परिवेशगत प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पीबिलाईड स्थायी पत्रक प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1141/खनिज/जाब.पी.अनु./रेत/2020–21 कांकेर, दिनांक 09/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. लीज की प्रवेश जैन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन दिनांक 27/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि दिनांक 27/12/2019 से 26/12/2021 तक वैध है।

3. रेत परिवहन हेतु प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित मार्ग के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर पुल्स 5 मीटर का ब्रिज बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ब्रिज पिर में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019–20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) चस्पाना सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

5. खनन क्षेत्र पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 43 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर तथा खनन क्षेत्र की लंबाई – 666 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी 7.5 मीटर है। क्षेत्र पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 11,327 घनमीटर है।

6. खनन क्षेत्र को 100 मीटर–100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :–

1. रेत परिवहन हेतु प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित मार्ग के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर पुल्स 5 मीटर का ब्रिज बनाकर,

वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर डिजि पैन में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये।

2. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक कर्व रिपोर्ट (रेत तुलनात्मक) गणनाओं सहित प्रस्तुत की जाए।

3. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रभावक की खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपस्थिति सम्बन्ध मूलभूत जानकारी / दस्तावेज (आधार फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 364वीं बैठक दिनांक 02/03/2021 के परिपत्र में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुरनगर द्वारा दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयन्त जैन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री कलेक्टर शिखा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर चौड़ा 5 मीटर का पिट बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, गणनाओं सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 3 मीटर तक है।

3. **नो माईनिंग ज़ोन** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 7.5 मीटर है। नई दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 7.5 मीटर प्रतिशत उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,872.5 वर्गमीटर नो माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.135 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. पर्यावरण प्रभावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। चूंकि नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में अधिकतम 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्नवत विषयों उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–गढ़बेगाल) का रकबा 1.833 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वनीकरण कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नहीं तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, कदंब, बांस आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाधा नहीं आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूमि जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई सतह के अंतिम सतह/पूर्व के प्रथम सतह) इसी चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाना।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीक–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की प्रवेश लीज, गढ़बेगाल मोनो माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 801, ग्राम–गढ़बेगाल, तहसील व जिला–बलरामपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.833 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 4,372.5 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.125 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 11,300 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र से निकाल रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. नॉन माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्थल सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

7. आवेदक द्वारा सेक्ट-मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सेक्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़े तकनीक एम.ई.आई.ए. प्राधिकरण छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न पहली बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की प्रोसेस लीज, पड़वेगांव सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 801, ग्राम-पड़वेगांव, तहसील व जिला-गरियाबन्द, कुल लीज क्षेत्रफल 1.635 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 4.8225 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.138 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 11,300 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

43. मेसर्स श्री सुदीप कुमार झा (हेडबेड़ा सेण्ड माईन, ग्राम-हेडबेड़ा, तहसील व जिला-गरियाबन्द), तहसीलपारा, तहसील व जिला-गरियाबन्द (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 1415)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 178277/2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से प्रारूप दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (माईनर खनिज) है। यह खदान ग्राम-हेडबेड़ा, तहसील व जिला-गरियाबन्द स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 120, कुल क्षेत्रफल – 2.23 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुदुर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 13,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सदस्यगण से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एस.ओ.आई. /लीज क्षेत्र की पहलीज प्रति प्रस्तुत की जावे।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुख्य 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। प्रकरा लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क

(Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। साथ ही टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

4. माईनर से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं तल आकृति स्थल की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 300 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभावात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

8. पिछले वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित डेटाज में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुदीप कुमार झा, प्रोपराइटर एवं श्री रामेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पश्चात निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डेहरेवा का दिनांक 25/09/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – वर्षवार प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-पलामू, प्रमाण कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक/426/खनिज/पलामू/अनु./रेत/2020-21 कार्यालय, दिनांक 06/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गढ़वापलामू के ज्ञापन क्रमांक 242/खनिज/रेत खदान/2020-21 गढ़वापलामू, दिनांक 16/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 1,000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गढ़वापलामू के ज्ञापन क्रमांक 244/खनिज/रेत खदान/2020-21 गढ़वापलामू, दिनांक 16/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विकल्प** – एन.ओ.आई. की सुविधा कृषक द्वारा ली गयी है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गढ़वापलामू के ज्ञापन क्रमांक 243/खनिज/खनि./2019-20 गढ़वापलामू, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रतिभाग में 2 वर्ष हेतु लीज निष्पादित की गई है। लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-डेहरेवा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम-डेहरेवा 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल गढ़वापलामू 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। एनीकट 200 मीटर की दूरी पर अरहुरीन में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औसत चौड़ाई – 80 मीटर, तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 15,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिज में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भरान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संलग्न में प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में ग्राम पंचायत क्षेत्रवेडा के नाम से रेत खदान पट्टे क्रमांक खसरा क्रमांक 120, क्षेत्रफल 2.23 हेक्टेयर, क्षमता– 11,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 26/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा लखांव, ग्राम पंचायत क्षेत्रवेडा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को भी पुनरीक्षण कुमार क्र. के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को चित्र रूप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 287/ खनिज/ रेत खदान/ 2020-21 गरियाबंद, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2019–20	878
2020–21	624

v. निर्धारित शर्तानुसार क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 11/08/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/ ड्राइंग प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government School Village- Brohbeda	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Total	0.60

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के पाट की चौड़ाई 80 मीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के पास उपर में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पूरा 25 मीटर के डिप बिन्दुओं पर सर्वे किया गया है। उक्त सर्वे से वर्तमान आंकड़े प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। कम 5 मीटर पूरा 5 मीटर के डिप बिन्दुओं पर सर्वे किया जाना चाहिए। साथ ही खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,000 मीटर एवं चौड़ाई – 30 मीटर दर्शाई गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खनन क्षेत्र की लंबाई के अनुदिश (Along) खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. लीज क्षेत्र सकारे दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत भण्डारण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अगलीम तथा बायनलीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर पूरा 5 मीटर का डिप बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर डिप मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे।
3. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनर्भरण) मानचित्र सहित प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की सकारात्मक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. खनन क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में निर्धारित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर नहीं होने की स्थिति में नये दिशा निर्देशों के अनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
6. पर्यावरण प्रभावक से उपरोक्त सहित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2021 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 346वीं एवं 348वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/11/2020 एवं 08/12/2020 में प्रकाशन पर

किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 02/12/2020, 19/01/2021 एवं 14/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

3. परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु स्मरण पत्र लेख के लिए निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 368वीं बैठक दिनांक 12/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021

समिति द्वारा नवीनतम प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. लीज की सूचीत खसरा क्र. के नक्शे पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन दिनांक 27/12/2018 द्वारा जारी की गई, लिखावटी अवधि दिनांक 27/12/2018 से 26/12/2021 तक वैध है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक कर्व प्रिपेरे (रेत पुनर्भरण) संबंधमान सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 1000 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 18 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी 10 मीटर है। पूर्व में नदी तट से दूरी संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण दी गई थी। स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 12,870 घनमीटर है।

5. खनन क्षेत्र को 500 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. नोटिफाईड कंटूर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दंतेवाड़ा बस्तर कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 1140/खनिज/दंतेवाड़ा/रेत/2020-21 कार्यालय, दिनांक 18/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें।

2. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत की जाए।

3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपलब्ध सम्पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एम.ई.पी.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 के परिपेक्ष में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर द्वारा दिनांक 25/03/2021 को पुनःविचार करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(ङ) समिति की 364वी बैठक दिनांक 25/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुदीप कु. प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उनके खनिज निरीक्षक से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 3 मीटर तक है।

3. **नैश माईनिंग क्षेत्र** – एनीकट खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ के खदान से 300 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ग्रामपंचायतवार माईनिंग प्लान में कुल नैश माईनिंग क्षेत्र 2.420 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.287 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभराव संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया

है। कुकुर नदी घोषी नदी है तथा इसके कार्यक्षेत्र में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–केहरेड़ा) का रकबा 2.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थापित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रत्यभिज्ञान के आधार पर गठी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 400 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरण प्रभावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का वर्ष पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े मार्च 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.टी.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सुधीर कुमार द्वा. केहरेड़ा सेन्ड माईन, चर्रे लीज खसरा क्रमांक 120, ग्राम–केहरेड़ा, तहसील व जिला–मानपुरमुंडेली, कुल लीज क्षेत्रफल 2.23 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.420 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 1.280 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 12,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय अनुमति, जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। नियर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लेकिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का नीचे का खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायगी।

9. आवेदक द्वारा पीएट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित किये बिन्दुओं पर नदी में रेत की मात्रा के स्तरों (Levels) का पीएट–मानसून सर्वे कर, उसकी आंकड़ी सहायक एस.ई.आई.ए. ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को संपन्न पांचवीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री सुदीप कुमार झा, बेहरबेरा सेण्ड माईन, पार्ट ओपन खसरा क्रमांक 120, ग्राम–बेहरबेरा, तहसील व जिला–गौरेलापेन्ड्रा, कुल लीज क्षेत्रफल 2.23 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 0.420 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 1.287 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन प्रतिबंधित 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 12,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(सुब्रत साहू)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(भोली लाल सलाम)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़